SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

रश्मि

36 वाँ अंक

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय - महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II
महाराष्ट्र, नागपुर

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का.-1) नागपुर

संयोजक : पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नागपुर

प्रमाण-पत्र

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, नागपुर को वर्ष 2021-2022 में प्रकाशित गृहपत्रिका 'रश्मि' के लिए नराकास (का.-1) द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(आर. नारायण)
सचिव, नराकास (का.-1)

पावरग्रिड
POWERGRID

(आलोक)
अध्यक्ष, नराकास (का.-1)

दिनांक 24 मई 2023

संरक्षक की कलम से...

कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' के 36 वें ई-अंक के सफल प्रकाशन पर मुझे खुशी हो रही है। यह पत्रिका कार्यालय के कार्मिकों में छुपी साहित्यिक प्रतिभाओं को बाहर लाने की एक उत्तम पहल है। कार्यालय में रश्मि के प्रकाशन के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि कार्यालयीन काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिले और रचनाकारों तथा पाठकों की साहित्यिक रुचि का यह परिणाम है कि पत्रिका का प्रत्येक अंक अपनी गुणवत्ता का स्तर बरकरार रखता है।

हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नागपुर द्वारा ''रश्मि'' पत्रिका को ''द्वितीय'' पुरस्कार प्रदान किया गया। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कार्यालय के कार्मिकों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर पुरस्कार भी प्राप्त किए। इस अवसर पर मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।

मैं सभी रचनाकारों, समीक्षा समिति एवं संपादक मंडल की सराहना करता हूँ जिनके योगदान से रश्मि के इस अंक का प्रकाशन सफल हुआ।

आर. तिरुपति वेंकटसामी
महालेखाकार

रश्मि परिवार

संरक्षक

श्री आर. तिरुपति वेंकटसामी

महालेखाकार

मार्गदर्शक

श्री नरेश कुमार मन्ने

उप-महालेखाकार (प्रशासन)
एवं राजभाषा अधिकारी

✦ **समीक्षा समिति**

श्री एम. एम. टोंगो, व.ले.प.अ.

श्रीमती विभा नागदेव, स.ले.प.अ.

✦ **संपादक**

श्री वसीम मिन्हास
हिंदी अधिकारी

✦ **संपादन सहयोग**

श्री राजेश कुमार कटरे, वरिष्ठ अनुवादक

सुश्री नीलम देवी, कनिष्ठ अनुवादक

श्रीमती नयना कुमारी इस्सर, कनिष्ठ अनुवादक

सुश्री यशी श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवादक

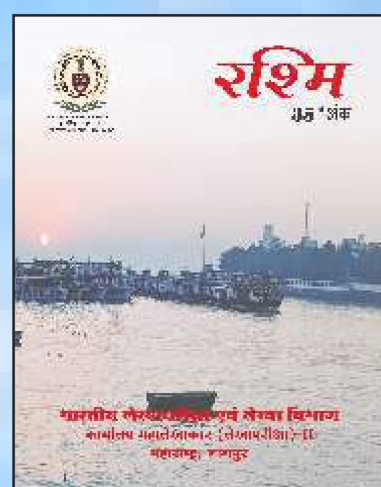

गतांक से आगे ...

अस्वीकरण : पत्रिका में व्यक्त विचार रचनाकारों के निजी विचार हैं, उनसे कार्यालय / संपादक मंडल अथवा प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। उससे उत्पन्न किसी भी वाद की जिम्मेदारी रश्मि परिवार अस्वीकार करता है।

मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति ...

भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन राजभाषा को उसके प्रगति पथ पर ले जाने की दिशा में एक सशक्त एवं प्रभावशाली कदम है। हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से कार्यालयीन परिप्रेक्ष्य में हिंदी के कार्यान्वयन तथा इसके प्रचार-प्रसार को गति मिलती है।

सभी कार्मिकों के सतत प्रयत्नों का परिणाम है कि कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' को विविध मंचों पर सराहा जा रहा है । ''रश्मि'' का यह अंक राजभाषा के प्रचार-प्रसार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। कार्मिकों द्वारा दी गई साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचनाएं हिंदी के प्रति उनके बढ़ते रुझान को दर्शाती हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि ''रश्मि'' के विगत अंकों की भांति यह अंक भी कार्यालय में सरकारी कामकाज हिंदी में करने हेतु एक उत्साहवर्धक वातावरण निर्मित करेगा।

मैं संपादक मंडल, समीक्षा समिति तथा सभी रचनाकारों को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के निरंतर प्रकाशन की कामना करता हूँ।

नरेश कुमार मन्ने
राजभाषा अधिकारी
एवं उप-महालेखाकार (प्रशासन)

संपादकीय ...

कार्यालय की हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' का 36 वां ई-अंक आप सभी पाठकों के समक्ष सहर्ष प्रस्तुत है । हिंदी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य कार्मिकों में राजभाषा हिंदी के प्रति उत्साह तथा रुचि उत्पन्न करके हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है । साथ ही हिंदी गृह पत्रिकाएं कार्मिकों को अपना-अपना साहित्यिक रचनात्मक कौशल प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करती हैं।

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन कामकाज के साथ-साथ हिंदी में बेहतरीन साहित्य सृजन भी कर सकते हैं । मुझे उम्मीद है कि विविध विषयों पर रचनाओं को समाहित करती ''रश्मि'' पत्रिका से हिंदी के प्रयोग में बढ़ोत्तरी होगी तथा हिंदी के विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

मैं महालेखाकार महोदय, राजभाषा अधिकारी/ उप-महालेखाकार (प्रशासन), समीक्षा समिति, संपादक मण्डल के सदस्यों तथा सभी रचनाकारों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

वसीम मिन्हास
हिंदी अधिकारी

अनुक्रमणिका

क्र.	रचना / कविता	पृष्ठ क्र.
1.	निरंतरता सुश्री ईशी सिन्हा	1
2.	''बिरजू हकीम का हुनर'' श्री राजेश कुमार कटरे	2
3.	जल संकट का सामना करता विश्व सुश्री मोनिका सोनी	5
4.	धर्म की प्रासंगिकता श्री आर. के. चौबे	7
5.	रवायतन हकतलफ़ी श्रीमती अर्चना राज चौबे	9
6.	जिंदगी क्या है? श्री रविन्द्र ब्राम्हणकर	12
7.	21 वीं सदी में जाति प्रथा : समस्या और चुनौतियाँ सुश्री सोनिका सोनी	13
8.	अपना भाग्य तुम स्वयं बनाओ श्रीमती मोनिका सिन्हा	14
9.	बचपन सुश्री यशी श्रीवास्तव	15
10.	कोरा पन्ना श्री वाई. के. दीपक	16
11.	मेरा क्या है ... ? सुश्री वंदना	18
12.	नारी सुश्री नीना वर्मा	19
13.	चंद मुक्तक श्रीमती कंचन	19
14.	मैं गंगा हूँ सुश्री नीलम देवी	20
15.	जीवन गीत श्री विजय इस्सर 'वत्स'	20
16.	प्लास्टिक : खतरे में भविष्य श्री मयंक सोनी	21
17.	विरह राग सुश्री श्वेता	23
18.	डिजिटल खुशी श्री किशन चतुर्वेदी	24
19.	मन की शांति श्री सुभाष निकम	25
20.	मृत्यु टाली नहीं जा सकती श्री पी. जे. तुरबाड़कर	26
21.	जीवन की किताब श्रीमती नयना कुमारी इस्सर	26
22.	परोपकार श्री वसीम मिन्हास	27
23.	खुशी श्रीमती प्रिती रविन्द्र ब्राम्हणकर	28
24.	हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' के 35 वें अंक के विमोचन समारोह की झलकियाँ	29
25.	नराकास पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2023	30
26.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	31
27.	हिंदी कार्यशाला	32
28.	हिंदी पखवाड़ा - 2023 : विवरणात्मक रिपोर्ट	33
29.	लेखापरीक्षा के पन्नों से ...	34
30.	राजभाषा नियम, 1976	35

❑ ❑ ❑

निरंतरता

सुश्री ईशी सिन्हा
स. ले. प. अ.
शाखा कार्यालय, मुंबई

आप सब ने खरगोश व कछुए की रेस की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें खरगोश अति आत्मविश्वास के कारण आराम करने बैठ जाता है व कछुआ धीरे-धीरे ही सही, चलता रहता है और रेस जीत जाता है।

उपर्युक्त कहानी से यूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु गौर करने योग्य बात है, कछुए की निरंतरता। वो जानता था कि मेरे कदम भले ही छोटे हों, लेकिन वे निरंतर हैं। यह निरंतरता ही उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण बनी। निरंतरता का अर्थ होता है, किसी क्रम, गति या प्रवाह से लगातार चलते रहने का भाव। यह भाव सफलता की ओर ले जाने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह वो आवश्यक गुण है जो एक सुखमय जीवन की ओर हमें अग्रसर करता है।

निरंतरता का पालन करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो उन अनगिनत बहानों से पार पाना जो हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता को विचलित करते व हमारे अभ्यास में बाधा डालते हैं। निरंतरता पाने के लिए हमें थोड़े अनुशासन, थोड़ी लगन व भरपूर मेहनत की आवश्यकता होती है। एक बार जीवन में निरंतरता लाने के बाद हम इसके अनेक फायदे उठा सकते हैं, इसके लाभ किसी संचित या चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होते हैं, जैसे यह ब्याज न सिर्फ एकमुश्त राशि पर मिलता है बल्कि एक समय अवधि के बाद उस राशि पर लगे ब्याज पर भी मिलता है।

निरंतरता पढ़ाई से लेकर खेल, नौकरी से लेकर उद्यम व संबंध से लेकर संकल्प, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए मुख्य गुण है। निरंतर काम करने से लक्ष्य की प्रप्ति कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अक्सर क्रम से कार्य करने से जो आनंद की अनुभूति मिलती है, वह लक्ष्य की प्रप्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवन में आत्मविश्वास, सामर्थ्य व स्थिरता के लिए भी निरंतरता प्रमुख है। महान क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर ने भी कहा है कि

''निरंतरता सफलता का मूल मंत्र है, जब आप निरंतर और प्रतिबद्ध रहते हैं तो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं।''

इसके साथ ही निरंतरता के कई मायने हैं, कभी-कभी हम सिर्फ एक दिशा में ही काम करते चले जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि हम जा कहाँ रहे हैं? और हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं। आवश्यकता है कि हम समय-समय पर आत्म निरीक्षण करें, इससे न सिर्फ हमारे काम में सुधार होगा बल्कि कुछ देर के विराम से हम पहले से ज्यादा स्फूर्तिवान महसूस करेंगे।

निरंतरता को अपनाकर हम अपने जीवन में कई अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं और एक सफलतापूर्ण जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। आज हमें अपनी शैली में उन पहलुओं पर विचार करना चाहिए जिसमें हमने निरंतरता बनाए रखी और उसके साथ ही कोई नई श्रेणी तलाशनी चाहिए जिसमें हम इस गुण को शामिल कर सकें।

❖ ❖ ❖

''बिरजू हकीम का हुनर''

श्री राजेश कुमार कटरे
व. अनुवादक

एक छोटे से गाँव में बिरजू हकीम नाम से मशहूर एक व्यक्ति रहता था जिसके द्वारा जड़ी-बूटियों से बनाई गई औषधियों पर लोग आँख बंद करके भरोसा करते थे । यह बात विज्ञान के जमाने की ही है, लेकिन इस गाँव और आसपास के गाँव के जन-विश्वास को कोई अंधविश्वास कहे या रुढ़िवादी विचारधारा लेकिन सत्य तो यह है कि वैज्ञानिक भी प्रकृति से ही संसाधन जुटा कर औषधि और औजार बनाते हैं । यह भी सही है कि विज्ञान का एक लाभदायक उत्पाद जीवन के दूसरे पहलूओं के लिए विष तुल्य साबित होता है । लेकिन अनपढ़ किंतु वनस्पति में औषधीय पौधों की परख रखने वाले बिरजू हकीम का कहना था कि प्रकृति प्यार को तरसती है, सींचो उगाओ किस्म-किस्म के पौधे और उनकी इतनी अच्छी देखभाल करो कि उनमें तुम्हें अपना परिवार दिखने लगे । वे प्रत्येक रोगी को प्राकृतिक दवा देते और कहते थे कि - ''सुनो स्वस्थ होकर पेड़-पौधे लगाना ताकि औषधियाँ खत्म न हो जाएं । वातावरण दूषित हो रहा है, मैं औषधि देकर आपको रोगमुक्त कर सकता हूँ लेकिन आप ये जिम्मेदारी उठाइए कि पर्यावरण को हम सब साथ मिलकर शुद्ध करेंगे।'' इस तरह पर्यावरण प्रेमी बिरजू हकीम रोगों का जड़ी-बूटियों से उपचार करने के साथ पर्यावरण के लिए प्रयोग में आने वाले उत्पादों की निरंतरता एवं परिवेश की शुद्धता का नियोजन भी करते थे। सही मायने में बिरजू हकीम अपने आसपास के क्षेत्र में भगवान तुल्य माने जाते थे । वह सर्पदंश, बिच्छूदंश, कुत्ता काटना, हड्डी टूट-फूट, सभी प्रकार के ज्वर, लकवा, खाज-खुजली, बांझपन निवारण और तुतलाना आदि बीमारियों के साथ-साथ पालतू पशुओं की बीमारियों के इलाज की औषधि देते थे । गाँव वाले उसे प्यार से 'बिरजू बाबा' कहते थे । कुछ लोग व्यंग्यात्मक रुप से वार्ता के दौरान 'सिविल सर्जन' ही कह देते थे। नौजवान-युवा पीढ़ी उन्हें 'एमबीबीएस डॉक्टर' कहती थी । बिरजू हकीम अपने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व और औषधीय हुनर के कारण बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के चहेते थे ।

बिरजू हकीम की पत्नी की मृत्यु सात वर्ष पहले हो चुकी थी । परिवार में बिरजू के साथ उसके चार पुत्र क्रमशः राजदूत, सेवकराम, विद्युत सिंह और नारीदेव थे एवं एक पुत्री अनूठी बाई थी । बिरजू हकीम की आर्थिक दशा खराब थी । आमदनी के साधनों में मात्र तीन एकड़ ऊसर (अनुपजाऊ) कृषि भूमि थी जिस पर मर-मरकर मेहनत करने के बाद भी बमुश्किल वर्ष भर खाने को अनाज एवं पशुओं के लिए चारा उगा पाते थे । हकीमी व्यवसाय में रोगी स्वेच्छा से जो अनाज या नकद दे दें बिरजू को वही स्वीकार्य था, वह औषधि प्रदाय को सेवा मानते थे । कहने को तो बड़े बेटे राजदूत का बढ़ईगिरी का व्यवसाय था । उसकी कारीगरी को लोग बेहद पसंद करते थे लेकिन उसका मन धंधा-पानी में नहीं लगता था । उसकी एक धर्मपत्नी एवं दो बेटियां थी, इसके बावजूद भी उसने चौवालीस वर्ष की अवस्था में एक बांझ परित्यक्त युवती से दूसरा विवाह रचा लिया था ।

राजदूत की दूसरी पत्नी भी सभी महिलाओं की भांति मातृत्व सुख चाहती थी। वह भी संतान को जन्म देना चाहती थी। उसे पता था कि उसके ससुर बांझपन दूर करने की दवा देते हैं। अतः वह हमेशा औषधि के लिए राजदूत के पीछे पड़ी रहती थी कि वह उसके लिए औषधि का प्रबंध करे । राजदूत रोज अपने पिताजी से औषधि मांगता था । बिरजू हकीम उसे ये कहकर दुत्कार देते थे कि ''जनसंख्या बढ़ाने का ठेका ले रखा है, पहले से तेरी दो बेटियां हैं और हम सबको मिलाकर इतना बड़ा परिवार है, तेरी करनी में कोई बरकत नहीं है। मुझे क्या जीते जी मारना चाहता है?'' इस कठोर स्वभाव से बिरजू हकीम सबके दिलों में राज करने वाले स्वयं अपने इस बेटे की आँखों से देखे नहीं भाते थे ।

दूसरी तरफ बिरजू हकीम का दूसरा पुत्र सेवकराम अत्यंत सुशील, जनहिताय और परोपकारी व्यक्ति था । सुबह-शाम अपने ईष्ट देव की पूजा- अर्चना करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। इसके बाद ही वह भोजन करता था । सेवकराम की आयु चालीस वर्ष के पार हो चुकी थी किंतु उसने विवाह नहीं किया था। उससे परिवार, रिश्ते-नाते, गाँव वाले सभी ने विवाह हेतु आग्रह किया किंतु उसने किसी की नहीं सुनी और कुँवारा ही था। वह अपने घर की वस्तुएँ ज़रूरतमंदों को दे-देकर परसेवा में लगा रहता था । बिरजू हकीम का अड़तीस वर्षीय तीसरा पुत्र विद्युत सिंह विद्युत की तरह झटकेदार था । गाँव में अनायास ही किसी से लड़ना-झगड़ना उसकी फितरत थी। आए दिन उसकी ग्राम पंचायत में सुनवाई होती थी लेकिन कृषि कार्य में विद्युत सिंह अपनी पत्नी के साथ पिता की मदद अवश्य करता था। यही नहीं वह खेतों और जंगलों से औषधि संग्रहण में भी पिता की मदद करता था । बिरजू हकीम अपने इस पुत्र से खुश थे।

बिरजू हकीम की औषधियों पर लोगों को इतना फख्र था कि लोग रोग- बीमारियों से डरते ही नहीं थे। लेकिन बिरजू स्वयं अपनी अकर्मण्य संतानों और तंगहाली के कारण परेशान रहता था। उसे तो औषधि संग्रहण, इलाज और लोगों के साथ पौधा रोपण करने से फुर्सत नहीं थी कि घर में इतनी उम्रदराज संतानों की हमेशा पहरेदारी करता रहे। उनका चौथा पुत्र नारीदेव जिसकी आयु छत्तीस वर्ष थी, नौवीं कक्षा उत्तीर्ण था तथा अत्यंत पत्नी भक्त था । उसकी पत्नी भी खूबसूरती की मिसाल थी। वह गाँव के पास ही शहर में एक अंग्रेजी दवाई की दुकान पर काम करता था। वह अपने पिता की औषधियों पर भरोसा नहीं करता था। पति-पत्नी खुश थे किंतु उन्हें संतान सुख नहीं था। उसे पगार जितनी मिलती उससे वह केवल अपने शौक पूरे करता था। घर पर सार्वजनिक मदद के नाम पर पिताजी के लिए चिलम-पान और बहन की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ही लाता था । वह अपनी पत्नी के साज-श्रृंगार की वस्तुएं लाने में कोई कमी नहीं छोड़ता था।

राजदूत की पहली पत्नी, बिरजू हकीम को यानि अपने ससुर को पिता तुल्य सम्मान देती थी । समय-समय पर खाना-पीना, घर की देखरेख, बड़ी बहु होने के नाते अपना पूरा फर्ज निभाती थी । हकीम साहब की एक मात्र बेटी अनूठी बाई जिसकी उम्र तैंतीस वर्ष हो चुकी थी, उसका रंग काला एवं एक पैर से विकलांग होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पायी थी । बड़ी बहु छोड़कर सभी बहुएं उससे घृणा करती थी । बिरजू हकीम की उम्र भी अठहत्तर वर्ष की पूर्ण हो चुकी थी किंतु शरीर अभी भी स्वस्थ ही था । फिर भी उसे चिंता थी कि यदि उसकी मृत्यु हो गई तो बेटी अनूठी बाई की जिंदगी

कैसे गुजरेगी। अनूठी बाई भी अनूठी थी वह घर के काम–काज से ज्यों ही फुर्सत पाती गाँव में कहीं भी बैठने चली जाती थी। सभी से उसका खुला और निश्छल व्यवहार था । उसकी वाकचातुर्यता तथा इतनी तंगहाली के जीवन में भी उसके इस अनूठेपन के कारण गाँव के सभी लोगों के दिल में उसकी विशिष्ट पहचान थी । उसके मिलनसार स्वभाव के कारण गाँव वालों ने उसे अपने गाँव की पंचायत में सरपंच चुन लिया। सरपंच अनूठी बाई पिता के संस्कारों के परिपालन में गाँव की सेवा में जुट गई और गाँव को एक सूत्र में बांधकर विकास के मार्ग पर अग्रसर करती रही ।

समय व्यतीत होने के साथ–साथ ऋतुएँ भी क्रमशः चक्रानुसार आती–जाती रहीं। अब सावन का महीना चल रहा था। पिछले पाँच–छः दिनों से लगातार बारिश की झड़ी लगी हुई थी। इसी बीच एक दिन अचानक बिरजू हकीम की बड़ी बहु की माँ के देहावसान होने की खबर आई । उनका बड़ा बेटा राजदूत अपनी पहली पत्नी और बहन अनूठीबाई के साथ सास के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने चला गया। घर पर शेष बचे सदस्यों में विद्युत सिंह ही पिता का कुछ हद तक ध्यान रखता था। वह भी पिछले तीन दिनों से पतले दस्त और उल्टी से ग्रस्त होने के कारण बिस्तर पर पड़ा था। घर में सब अस्त–व्यस्त स्थिति थी । वैसे भी बिरजू हकीम उम्र के इस पड़ाव में भी घरेलू कार्य करते ही थे । चूंकि परिवार कृषि कार्यों से जुड़ा था, अतः घर पर पशु रखना स्वाभाविक था । बिरजू हकीम ने एक काले रंग की गाय दूध के प्रयोजन से पाली थी ।

एक दिन हल्की–हल्की बारिश हो रही थी। फिर भी हकीम साहब दिन में लगभग चार से पाँच बजे घर से करीब तीन किलोमीटर दूर बिना किसी को बताये गाय के लिए घास लाने खेत चले गये। थोड़ी ही घास काट पाये थे कि उनके मुंह सहित शरीर के बांये अंगों में लकवा लग गया । वह पानी से तर– बतर धान के खेत में गिर गये। रात हो गई। उनके अब तक घर नहीं पहुँचने पर बहु–बेटों ने मोहल्ले–पड़ोस में सामान्य पूछताछ की। कुछ पता नहीं चलने पर वे भी सो गए। उधर बिरजू हकीम सारी रात खेत में पड़े–पड़े शीत के कारण बेसुध हो गये थे । लकवा और ज्वर से ग्रसित वह अब जीवन की अंतिम घड़ियों का इंतजार कर रहे थे ।

सुबह होने पर पुनः उनकी खोज शुरू की गयी। खेत आने–जाने वालों को बिरजू हकीम गंभीर हालत में दिखाई दिये । वे लोग उसे घर लेकर आए । बिरजू हकीम के हुनर और व्यवहार से सभी प्रभावित थे, वे सबके चहेते थे इसलिए कुछ ही देर में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने संबंधी खबर जंगल की आग की तरह आसपास के गाँवों में फैल गई । सभी लोग इकट्ठे हो गए और हकीम साहब ने भी अंतिम सांस ले ली । पर्यावरण सुरक्षा और कई बीमारियों को ठीक करने वाले बिरजू हकीम जरावस्था में स्वयं बीमारी से हार गए और लोगों को जीवन में सेवा, जन–कल्याण और सौहार्द्रता के महत्व का संदेश देकर हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। पुत्री अनूठी बाई ने भाई–भाभियों को अपने पिता के इस सहज–सरल और सादगीपूर्ण जीवन का सार समझाया जिसे उन्होंने पिता के जीवन काल में नजरअंदाज किया था। किंतु अब तक देर हो चुकी थी। अब केवल पश्चाताप ही शेष रह गया था ।

❖ ❖ ❖

जल संकट का सामना करता विश्व

सुश्री मोनिका सोनी
लेखापरीक्षक

अगस्त 2019 में गैर-लाभकारी संगठन 'वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' द्वारा जारी वाटर स्ट्रेस इण्डेक्स 2019 में, विश्व की एक तिहाई जनसंख्या को जल संकट की अत्यंत जोखिम श्रेणी में रखा गया है। इसमें भारत को विश्व के 46 वें सबसे अधिक जोखिमपूर्ण देश (जल संकट के संदर्भ में) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर भारत के बढ़ते कदम में सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना सर्वोपरि है। इस आर्थिक विकास हेतु जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व की लगभग 17% आबादी का वहन करने वाला भारत, विश्व के ताजे जल संसाधनों का मात्र 4% ही रखता है, जो स्पष्ट रूप से इसके विवेकपूर्ण उपयोग और कुशल जल जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है।

किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष में आवश्यकता के अनुकूल जल का न होना 'वाटर स्ट्रेस' कहलाता है। यह स्थिति जल संकट की स्थिति को व्यक्त करती है। वर्तमान में जल की ऐसी स्थिति को 'जीरो डे' के रूप में जाना जाता है।

दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में जल के उपयोग को सीमित और प्रबंधित करने हेतु लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्पन्न विचार 'जीरो डे' है। इसका आशय जल के अभाव का दिन होता है। इसका उदेश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।

विश्व के सर्वाधिक वाटर स्ट्रेस वाले देश:

विश्व के सर्वाधिक जल तनाव वाले 17 देशों में कतर, लेबनान, इज़राइल, ईरान जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, भारत, पाकिस्तान, इरिट्रिया, सैन मैरिनो, तुर्कमेनिस्तान और बोत्सवाना हैं।

वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 1 बिलियन से अधिक लोग जल संकट या जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं।

भारत में पर्याप्त जल संसाधनों के स्रोत होने के बावजूद लगभग 50% क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में चेन्नई गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इसके अलावा अधिकतर राज्य पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, जल संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना कर रहे हैं।

विश्व में बढ़ रही जल तनाव की स्थिति को कम करने, कृषि एवं औद्योगिक कार्यों में जल की सीमित मात्रा का उपयोग करने तथा जल उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु निम्न कुछ प्रमुख उपाय किए जाने चाहिए:

कृषि दक्षता को बढ़ावा देना:

कृषि कार्यों में जल के अधिक उपयोग को

कम करने हेतु शुष्क कृषि, पर्यावरण अनुकूल कृषि को अपनाया जाना चाहिए। वहीं सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई को अपनाया जाना चाहिए जिससे जल के उपयोग को कम से कम किया जा सके।

ग्रे और ग्रीन अवसंरचना में निवेश :

भवन निर्माण के इन तकनीकों को अपनाकर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रीन अवसंरचना में परितन्त्र के संरक्षण हेतु प्राकृतिक भूमि तथा खुले स्थानों का उपयोग होता है, वहीं ग्रे अवसंरचना में जल अपशिष्ट, शोधन संयंत्र, पाइप लाईन आदि के उचित प्रयोग से जल की बर्बादी को रोका जा सकता है।

उपचार, पानी का पुनः प्रयोग तथा पुनर्चक्रण को बढावा देना :

जल तनाव को कम करने हेतु जल के उपचार तथा पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है और इस क्रम में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया काफी मददगार साबित हो सकती है। उदाहरणस्वरूप चीन, वाशिंगटन डी.सी. की तकनीकी को देखा जा सकता है।

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कम जल गहनता वाली फसलों को अपनाना चाहिए। जल संसाधन के संरक्षण व प्रबंधन हेतु बांध निर्माण कराना चाहिए। इज़राइल जैसी तकनीकों को अपनाने के साथ जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

समय आ गया है कि अब हम वर्षा का जल अधिक-से-अधिक बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जल का कोई विकल्प नहीं है, इसकी एक-एक बूँद अमृत है। इसे सहेजना बहुत ही आवश्यक है। अगर अब भी जल नहीं सहेजा गया तो आगे चलकर स्थिति भयावह हो सकती है।

''जल साक्षरता'' अभियान के तहत मानव जीवन में जल की महत्ता और देश में मौजूदा जल संकट की स्थिति से जनमानस को अवगत कराने की जरूरत है तथा स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपायों को सरल व सहज तरीकों से जनता तक टी.वी. तथा सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाने की जरूरत है। नई पीढ़ी को जल संरक्षण के महत्व से परिचित कराना होगा।

इतना ही नहीं, नदी एवं भू जल संरक्षण हेतु जल जागरूकता को फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान के भौतिकवादी युग में जल बचाव में व्यक्ति का दायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। तभी भारत एक समर्थ व सशक्त राष्ट्र बन सकेगा। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती है, अन्यथा अगले कुछ वर्ष हम सबके लिए चुनौती-पूर्ण साबित होंगे।

❖ ❖ ❖

धर्म की प्रासंगिकता

श्री आर. के. चौबे
व. ले. प. अ.

हम धार्मिक लोग हैं। हमारा देश मुख्यतः धार्मिक उत्सव प्रेमी है। हम सब थोड़ा -बहुत वो करते ही हैं जो हमारा धर्म या उसके नुमाइंदे हमसे करने के लिए कहते हैं।

कभी आस्था से तो कभी डर-आशंका से पर करते जरूर हैं। भारत का हर परिवार (कुछ सदस्य अपवाद हो सकते हैं जो कहें कि वो इसे नहीं मानते पर वो भी खुद को टटोलें कि संस्कार गत तौर पर बचपन से उन्हें जिस सांचे में ढालने की कोशिश की गई है, क्या वो उससे पूरी तरह से मुक्त हो सके हैं?) वर्ष भर अपना धार्मिक योगदान समय और धन के रुप में देता ही है। उसके नियमों और रीति-रिवाजों का पूरी तरह से पालन करता ही है तो फिर क्या कारण है कि इतना सब करने के बावजूद इस देश से अनाचार, अत्याचार और अमानवीयता खत्म नहीं हो रही?

सच है कि जिस वक्त इन उत्सवों -परंपराओं की शुरूआत हुई उस समय इसकी जरूरत थी क्योंकि तब सभ्यता के विकास का लंबा, कठिन और बोझिल दौर था। अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन को थोड़ा रसमय बनाने, प्रकृति से जोड़ने व उसका शुक्रिया अदा करने के विचार के साथ ही कई धर्मों, रीति-रिवाजों व मान्यताओं का निर्माण हुआ जो कि ठीक था क्योंकि ये उस वक्त की मांग थी पर अब जबकि समय परिवर्तित हो चुका है और हमारी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं तो भी उनका उसी रूप में पालन उचित नहीं है। अब धर्म और उसके कायदों में भी परिवर्तन जरूरी है। समयोचित प्रश्न व उसका हल जरूरी है।

आए दिन हम समाज में, परिवार में या फिर देश में होने वाली ऐसी घटनाओं से दो -चार होते रहते हैं जो घृणास्पद रुप से अमानबीय हैं तो क्या हमारे आराध्य, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, इतने निष्क्रिय हैं कि वो इतना डर-भय, सम्मान-आस्था और अंतहीन चढ़ावे के बावजूद कुछ नहीं कर पाते?

अपने कठिन समय में, परेशानियों में हम ईश्वर को याद करते हैं , उससे दुआएं करते हैं या मन्नत मांगते हैं पर क्या कोई निश्चित तौर पर ये कह सकता है कि इसी वजह से उसकी मुश्किलें दूर हुई हैं या ईश्वर की कृपा से ही उसे सहारा या निजात मिल सकी है? सबसे ताज़ा उदाहरण कोरोना काल का ही है जिसके दौरान हर धर्म के देवी-देवता क्वारंटीन हो गये यानि खुद सुरक्षित हो गए या तो उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी या फिर उनसे मदद

और आसरे में संदेह था। याद रहे कि जब मैं ईश्वर कह रहा हूँ तो ये सभी धर्मों के देवी -देवताओं पर लागू होता है।

कुछ बुरा या गलत हो तो धार्मिक नुमाइंदे कहते हैं कि ये आपके पिछले जन्म के या फिर इसी जन्म के कर्मों का फल है। वहीं ये भी कहते हैं कि ईश्वर माता -पिता होते हैं तो ये कैसे माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को ऐसे कठोर दंड से नहीं बचा सकते या फिर भीषण यातना-वेदना और असहनीय अपमान से उनकी रक्षा नहीं कर सकते? जो कर्तव्य हम सामान्य माँ-बाप होकर भी जब तक जिंदा रहते हैं या जब तक चेतना रहती है पूरे हक पूरे प्यार और जिम्मेदारी से पूरा करते हैं उसे ये ईश्वर होकर भी क्यों नहीं कर पाता? हमारी गलतियों को माफ करके हमसे प्यार नहीं कर पाता? बिना उम्र भेद के किए गए जघन्य यौन दुराचारों से हमारी रक्षा नहीं कर सकता? यदि वाकई नहीं कर सकता (जो कि साफ नजर आ रहा है) तो फिर वो ईश्वर कैसा? हमारे समय, धन और आस्था का हकदार कैसा?

आस्था या मान्यताएं गलत नहीं है पर गलत तरीके और गलत सोच के साथ बहुत गलत है। जब कहा जाता है कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है तो ईश्वर की हदें भी सुरक्षित थीं क्या जो दुनिया में तकरीबन 199 देश और हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सका? साथ ही जिन देशों में इतना धार्मिक आडंबर और सार्वजनिक प्रदर्शन इत्यादि नहीं है उन देशों की प्रगति और विकास कहीं ज्यादा बेहतर और सुंदर हुआ है। सच तो ये है कि हर धर्म का मूल कथ्य और मान्यताएं बहुत सुंदर और पवित्र हैं पर उसके नुमाइंदों ने उसको बेहद आडंबरपूर्ण तरीके से खोखला और भयावह बना दिया है।

हालांकि समय तो पहले ही हो चुका था पर जब जागो तभी सवेरा इसलिए अब भी इसकी मूल भावना को पहचानिए, सच को समझिए और बजाय धार्मिक आडंबरों के अपने जीवन में इंसानियत और सच्चाई को सबसे प्रमुख बनाइए। एक बार सोचकर देखें कि जिस तरह से हमें रंगों और आडंबरों की कट्टरता के खांचे में बाँट दिया गया है उससे हमारा, हमारे देश का, समाज का कितना नुकसान हुआ है क्योंकि जितना समय और पैसा हम इसके लिए खर्च करते हैं उसका आधा भी यदि इस देश के विकास और मानवता के हित के लिए लगाते तो आज हम बेहतर इंसान, समाज और देश होते।

❖ ❖ ❖

स्वायतन हकतलफ़ी

श्रीमती अर्चना राज चौबे
पत्नी, श्री आर. के. चौबे
व. ले. प. अ.

सूरज ढल रहा था अपनी पूरी सुरमई और तनिक लजीली मुस्कान लिए मानों बाहुपाश में भरने की आतुरता लिए राह में कोई शरारतन खड़ा हो। सताने की तमाम जुगत करते हुए भी वो भी तो आखिरकार उनमें खो ही जाना चाहती है। इसीलिए शायद तमाम दृश्यों और घटनाओं की मन ही मन कल्पना करते हुए वो इस कदर मोहक नजर आती है। संजना को बचपन से ही बहुत भाता है उसका ये रूप। टकटकी लगाकर उसे निहारते वो घंटों बिता सकती है इसीलिए अक्सर शाम की चाय का एक बड़ा मग लेकर अपनी खूबसूरत बालकनी के इस हिस्से में इस वक्त आकर बैठती है जहां से ये मंजर पूरी तरह तब तक नजर आता है जब तक सूरज आसमान के आगोश में समा नहीं जाता। उसके बाद भी देर तक उसी में खोई वो कुछ न कुछ सोचती रहती है। उसे यूं एकांत में खो जाना बड़ा भला सा लगता है। इस वक्त किसी तरह की कोई मसरुफ़ियत भी नहीं होती।विनय को ऑफिस से आने में अभी तकरीबन एक घंटा है और नीति और यश भी ट्यूशन के लिए गए हैं तो फिलहाल ये वक्त पूरी तरह से उसका अपना है।

सूरज का डूबना जहां एक ओर शांति, समर्पण और ठहराव है तो वहीं दूसरी ओर रौशन उम्मीद भी है। इन्हीं भावों के बीच उसके भीतर तमाम किस्म की यादों और खयालों का सिलसिला करवटें बदलने लगता है। अतीत उनमें सबसे दिलकश खयाल और यादों का एक ऐसा खुशनुमा गह्वर है जो यायावरी संजना को बहुत भाती है। वो बचपन से लेकर अब तक के बीच की उम्र का कोई एक टुकड़ा चुन लेती है फिर उसके बारे में सोचते-सोचते कब ये वक्त गुजर जाता है उसे पता ही नहीं चलता, हालांकि कभी-कभी ये बिल्कुल आज या कुछ दिनों पहले घटी कोई घटना भी हो सकती है। जब वो बचपन के टुकड़े को चुनती है तो उसमें बेहिसाब मुस्कुराहटें, खुशियां, आजादी, मस्ती, नखरे लाड़-दुलार सब होता है। बचपन की बारिशों में कागज की कश्तियां, माँ की तमाम हिदायतों के बावजूद पूरी तरह भींग जाने वाली मटरगश्तियाँ होती थीं। ऐसे ही जाड़े और गर्मियों के भी अपने लुत्फ थे जिन्हें याद करते हुए वो अक्सर मुस्कुराया करती है। फिर संधिकाल उसके जाने वो पहला वक्त था जब कुछ ऐसे मसले सिर उठाने लगे जिनसे वो अब तक नावाकिफ थी। शारीरिक और भावनात्मक बदलाव के बीच वो मानों उलझ सी गई थी पर वो वक्त भी आखिरकार आगे सरका ही। इस दौर में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो एकांतप्रिय होने लगी थी और लगभग तबसे ही उसने सूरज के डूबने को खुद से रिलेट करना शुरू किया। दरअसल डूबने का भी एक सुख होता है ये उसने तब ही पहले-पहल जाना था। उम्र रही होगी यही कोई 13-14 वर्ष।

संजना घर में छोटी थी जिसका मायना ये था कि सब उसे प्यार तो बहुत करते, नखरे भी पूरे उठाते पर आमतौर पर गंभीरता से नहीं लेते थे। उसकी बातों को बचपना समझते और अपेक्षाकृत

उतनी तवज्जो नहीं देते थे। सब उसे बच्ची ही समझते इसलिए कभी हँसकर तो कभी यूं ही टाल दिया करते थे। ऐसा नहीं था कि ये कोई बड़ी दिक्कत थी और कई बार तो वो खुद भी सबकुछ यूं ही जाने देती पर कई बार चीजें उसे भी चुभ जातीं। वो सोचती कि छोटी है तो उसकी बातें जरूरी नहीं हैं क्या या वो जो कुछ कह रही है उसका कोई अर्थ नहीं है .. महत्व नहीं है? वो झुँझलाती पर कहती किससे इसलिए जल्दी ही फिर उसे टाल दिया करती। ये टाल देना, बातें मान लेना या कुछ बातों को बस जाने देना तबसे ही उसकी आदतों में शुमार हो गया है। हालांकि इसकी एक बड़ी कीमत उसने चुकाई है जो अब उसे महसूस होता है पर अब क्या फायदा?

आज दिन से ही उसे न जाने क्यों अपनी बचपन की दोस्त प्रीति की बहुत याद आ रही थी। दरअसल प्रीति की शादी बारहवीं के बाद ही तय हो गई थी। ये सूचना संजना के लिए जितनी ही अजीब और चौंकाने वाली थी प्रीति उतनी ही खुश थी। जब संजना ने उससे बात की तो बड़ी खुशी-खुशी उसने अपने होने वाले पति और समृद्ध ससुराल के बारे में बताया। उनसे बातचीत होती है ये भी बताया। उससे पूछने पर उसने कहा कि मम्मी-पापा ने तय किया है तो मेरा अच्छा सोचकर ही तो किया है न। बात यहीं खत्म। पर ये एक खूबसूरत भ्रम ही तो था क्योंकि बात यहाँ खत्म नहीं हुई और न हो सकती थी। कुछ सालों बाद उसे पता चला कि प्रीति बहुत बीमार है। शायद कम उम्र में ही दो बच्चों का होना और सही देखभाल न हो पाना इसका कारण रहा हो पर बजाय उसका इलाज करवाने के उसके दो छोटे बच्चों सहित ससुराल वालों ने उसे वापिस मायके भेज दिया था कि जब ठीक हो जाए तब वापिस लौटे वरना? संजना सिहर उठी कि प्रीति अगर ठीक नहीं हुई तो? उसका जीवन उसके बच्चे? ससुराल से इस तरह मायके भेजी गई बेटियों के कुछ किस्से उसने पढ़-सुन रखे थे और वो ये सोचकर ही सहम गई कि ऐसा अगर प्रीति के साथ हुआ तो? अपने खुद के परिवार भी कैसे बदल जाते हैं ये क्या कोई दबी-ढकी बात है? वैसे भी मुश्किलों के साथ रहा जा सकता है पर अपमान के दंश और एहसास-ए कमतरी के साथ रहने से तो ना रहना ही बेहतर है।

संजना इस मामले में खुद को भाग्यशाली मानती रही है कि उसकी शादी के पहले कम से कम उससे पूछा तो गया था। हालांकि तब 19-20 साल की उम्र में इतना अनुभव तो होता नहीं था कि आप हाँ और ना का महत्व और उसके फर्क को सही-सही समझकर जवाब दे सकें। सनद रहे कि ये 90 के दशक की कहानी है और तब समाज खासकर कस्बाई समाज लड़के और लड़की के खांचों पर कड़ी दृष्टि रखता था। उनकी दोस्ती सहज नहीं मानी जाती थी। ऐसे में विपरीत आकर्षण का एक जो चुंबक होता है वो बड़ी आसानी से गिरफ्त में ले लेता था। यही कुछ संजना के साथ भी हुआ हालांकि उसकी किस्मत अच्छी रही कि विनय के साथ उसका लगभग दोस्ताना रिश्ता है पर अगर नहीं होता तो?

संस्कारों की घुट्टी यूं भी लड़कियों को रोज बात-बेबात पिलाई जाती थी। ये उसको कभी समझ नहीं आया कि कुल-खानदान, संस्कार, परंपराओं, इज्ज़त, मान-मर्यादा का पूरा बोझ लड़की के ही माथे क्यों रहता है? परिवार की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का हल भी अक्सर लड़कियां ही क्यों हुईं? (क्या यहाँ लड़कों को कमतर आँका गया या फिर बात कुछ और थी)

पर हाँ कुर्बानी अक्सर उन्हीं की दी गई और ये अपेक्षा भी रखी गई कि वो ये सब हँसते-हँसते स्वीकार कर लें और आजीवन इसे निभाएं। जिन्होंने ये किया (इसकी क्या-क्या कीमत उन्हें चुकानी पड़ी कौन जानता समझता है और समझ भी ले तो आखिर क्या ही कर पाएगा या क्या किया ही ? यहाँ परिवार और समाज की संवेदनाएं या तो आँखें मूँद लेती हैं या फिर तमाम दुनियादारी की सीख उन पर लाद देती हैं) वो प्यार और सम्मान की हकदार बनी रहीं पर जो नहीं कर पाईं उनका क्या ? कई बार वो सोचती कि लड़की होते ही समाज ने जो एक लकीर तय की थी उसके अनुसार (हालांकि इसमें परिवार के बड़ों की सोच और उनकी आर्थिक -सामाजिक स्थिति के कारण व्यवहार में ये 19-20 ही नहीं बल्कि 18-21 के अंतर पर भी रही) उनका पालन पोषण हुआ। उनकी शिक्षा, उनका जीवन परिवार ने तय किया। कभी पूछा पर ज्यादातर नहीं । उनके हिस्से तो बस स्वीकार्य आया। जहां विरोध हुआ वहाँ पहले समझाने-बुझाने या फिर जबरन वाला मामला अमल में लाया गया । विवाह के बाद नए परिवार में नए लोगों के बीच सामंजस्य बैठाने और उनके अनुसार ढल जाने की उम्मीद उनसे की गई ।कर लिया तो ठीक वरना ये तो जरूर ही करना था कि चाहे जैसे भी पर वो वहीं बनी रहें, लौटकर वापस न आएं वरना परिवार और समाज दोनों की आबरू मुश्किल में पड़ जाएगी । इन सबके बाद भी अगर कोई प्रतिवाद या विरोध बचा रह जाए तो एक सर्वसम्मत तर्क का इस्तेमाल किया गया जिसकी कोई काट आज भी नहीं है। ''अब किस्मत में यही लिखा है तुम्हारे तो कोई क्या कर सकता है ? किस्मत का लिखा तो भोगना ही पड़ता है न ।''

संजना को अपनी कॉलेज की एक दोस्त रिया ठक्कर याद आई जिसने प्रेम विवाह किया था । हालांकि शादी से पहले उसने अपने परिवार वालों को मनाने-समझाने की पूरी कोशिश की थी। अरविन्द भी बैंक मैनेजर था पर मामला जात- पात पर अटक गया क्योंकि वो घोष था और इसे रिया का परिवार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था हालांकि अरविन्द के परिवार ने थोड़े टालमटोल के बाद अपनी रजामंदी दे दी थी । उसे याद है कि शादी के चंद रोज बाद ही जब वो उससे मिली थी तो उसने महसूस किया कि रिया की हंसी में भी एक उदासी सी है । एकांत मिलते ही जब उसने जरा कुरेदा तो रिया फफक उठी ''यार, मम्मी ने कह दिया है कि अब से मेरा अपने परिवार से कोई वास्ता नहीं होगा । ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है उन लोगों से कोई मतलब नहीं । संजना उसे दिलासा देती रही कि ''कोई बात नहीं .. सब ठीक हो जाएगा .. आखिर तो अपने ही हैं न कितने दिन नाराज रह पाएंगे?'' पर बाद में हालात ने कुछ ऐसी करवट बदली कि शादी के अगले ही साल अरविन्द एक एक्सीडेंट में नहीं रहा और इस बार अब रिया ने अपने घर वालों से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया था । घर वाले ये खबर पता लगने पर आए थे पर रिया के सर्द रवैये को देख कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए ।

आज संजना सोचती है कि अगर लड़की खुद से शादी करे तो माँ बाप और पूरा परिवार पल्ला झाड़ लेता है। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उसके सुख-दुख और परेशानियों का ठीकरा उस पर ही फोड़ता है पर वहीं दूसरी तरफ जब परिवार की मर्जी से लड़की शादी करती है तब भी उसकी मुश्किलों में वही परिवार खुद को जिम्मेदार क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं गलती

स्वीकार करता और अगर कर भी लेता है तो बजाय रोने-धोने और किस्मत को दोषी ठहराने के वो अपनी बेटी के लिए वास्तव में क्या करता है? क्यों नहीं करता है ? ये सब सोचते हुए संजना को अजीब उकताहट सी होने लगती । उसे महसूस होता कि मानों लड़कियों का जीवन सबका है बस उनका अपना ही नहीं है । वो सबके लिए है बस अपने ही लिए नहीं है । कईयों को ये कचोट उठती है कि उन्होंने वो जीवन जिया जो किसी और ने उनके लिए तय किया था । ताउम्र उन निर्णयों का पालन किया जो किसी और के थे । उनके हकों को समझदारी से खत्म कर उन्हें बकायदा मोहताज बनाया गया हालांकि कुछ मामलों में उनकी किस्मत कई बार बड़ी अच्छी भी रही पर ये अच्छी किस्मत भी कमबख्त उनमें हक वाला आत्मविश्वास तो नहीं भर सकती न । उसे लगा कि तमाम लड़कियों की जिंदगी डूबते सूरज सी सुरमई, खूबसूरत, मुसकुराती हुई और गर्वीली नजर आती है पर उन्हें पता है कि उन्हें अंततः डूबना ही है । वे फिर से उगने, आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट की रौशनी बिखेरने की उम्मीद क्यों नहीं संजो पातीं? उनके हिस्से स्वीकार्य, सहनशीलता और किस्मत जैसे लफ़्ज़ ही क्यों आते हैं? उसने अनगिनत बार ये सुना था कि बड़ों से सवाल करने या पलटकर जवाब देना बेअदबी होती है पर अगर वो तमाम लड़कियां जिनके साथ सिलसिलेवार तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं वो सभी एक साथ गुस्ताख और बेअदब हो जाएँ तो? पर अपनी ऐसी व्यर्थ बेसिरपैर की कल्पना पर वो खुद ही हंस पड़ी ।

अचानक ही कॉलबेल की आवाज से संजना चौंक उठी । घूमकर देखा तो दीवार घड़ी में वक्त लगभग साढ़े सात का हो चला था । वो समझ गई कि विनय या बच्चे होंगे । जब वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो उसे महसूस हुआ कि जैसे पीढ़ियों से वो चौखट के इस पार से यही कर रही है।

❖ ❖ ❖

जिंदगी क्या है?

श्री रविन्द्र ब्राम्हणकर
व. ले. प.
शाखा कार्यालय, मुंबई

जीवन एक सबक है,
इसे सीखें।
यह एक खूबसूरत सवारी है,
इसका आनंद उठाएँ।
यह चुनौतियों से भरी
एक पहेली है इसे हल करें।

यह एक मजबूत अनुभव है, इसे आज़माएं। यह एक संघर्ष है, इसका सामना करने के लिए तैयार रहें।

अपनी गलतियों से कुछ सीखें, यह हमें बहुत कुछ सिखाती हैं।

यदि आप गुलाब चाहते हैं, तो इसका सम्मान करें। यह एक लंबी लेकिन आनंददायक यात्रा है, इसकी ओर बढ़ने के लिए सदैव तत्पर रहें।

यह बहुत कीमती है, इसकी सराहना करें। यह बहुत आनंददायक है, इसका अनुभव करें।

❖ ❖ ❖

21 वीं सदी में जाति प्रथा : समस्या और चुनौतियाँ

सुश्री सोनिका सोनी
बहन, सुश्री मोनिका सोनी
लेखापरीक्षक

जाति प्रथा आधुनिक समाज की एक विकट समस्या है। जातिवाद भारत का एक ऐसा घटक बन गया है जो इसकी संरचना में बहुत गहराई में जा बसा है। भारतीय समाज में यह संरचना इतनी गहरी है कि आज जाति व्यक्ति के नाम, पहचान का प्रमुख हिस्सा हो गया है। जाति व्यवस्था के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि भारत में हर छोटी से छोटी जाति अपने से नीचे वाली जाति खोज लेती है। अतः यह एक जटिल और व्यापक व्यवस्था है। इसका प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों में भारतीय समाज पर पड़ता है।

एक ओर यह लोगों को एक अलग पहचान का आधार प्रदान करती है तो दूसरी ओर यह लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गयी है। आज यह देश की राजनीति का भी बहुत प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। नेताओं द्वारा जाति की राजनीति, आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास का बहुत बड़ा पहलू है। जाति के इतिहास और भारत पर पड़ रहे इसके प्रभाव को जानना अति आवश्यक है। इसके लिए हमें जाति और साथ ही साथ इसे जन्म देने वाली वर्ण व्यवस्था को समझना जरूरी है।

जाति प्रथा न केवल हमारे मध्य वैमनस्य को बढ़ाती है, बल्कि ये हमारी एकता में भी दरार पैदा करने का काम करती है। जाति प्रथा प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में बचपन से ही ऊँच-नीच, उत्कृष्टता-निकृष्टता के बीज बो देती है। अमुक जाति का सदस्य होने के नाते किसी को लाभ होता है तो किसी को हानि उठानी पड़ती है। जाति श्रम की प्रतिष्ठा की संकल्पना के विरुद्ध कार्य करती है और ये हमारी राजनीतिक दासता का मूल कारण रही है। जाति प्रथा से आक्रांत समाज की कमजोरी विस्तृत क्षेत्र में राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं करा पाती तथा यह देश पर किसी बाहरी आक्रमण के समय एक बड़े वर्ग को हतोत्साहित करती है। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण जातिवाद ने पहले से भी अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया है, जिससे सामाजिक कटुता बढ़ी है।

जातिवाद राष्ट्र के विकास में मुख्य बाधा है जो सामाजिक असमानता और अन्याय के प्रमुख स्रोत के रूप में काम करता है। इसका समाधान अंतरजातीय विवाह के रूप में हो सकता है। इससे जातिवाद की जड़ें कमजोर होंगी।

जाति उन्मूलन के लिए राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति व ईमानदारी आवश्यक है। राजनीतिक व्यक्तियों या नेतृत्व को जातिवादी संस्थाओं, संगठनों व आयोजनों से दूर रहना चाहिए तथा सरकार द्वारा जातिवादी संगठनों, सभाओं और आयोजनों को हतोत्साहित करना चाहिए। समझना होगा कि जब तक समाज से जातिवाद का अंधेरा नहीं मिटेगा तब तक राष्ट्रीय एकता का सूरज उदित नहीं होगा। जातिवाद की यह प्रथा पिछले 3500 वर्षों

से अक्षुण्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही इसे दूर करने का सबसे बड़ा औजार बन सकती है। लेकिन सैकड़ों सालों से चलने वाली किसी परंपरा को इतने कम समय में दूर कर लेना भी आसान नहीं है।

भारत सरकार तथा संविधान निर्माताओं ने कुछ नीतियों एवं नियमों से इसे दूर करने का प्रयास किया, परन्तु यह व्यवस्था भारतीय समाज में इस कदर व्याप्त है जैसे दूध में मिलावट का पानी। इस मिलावट को दूर करने के लिए दक्षता के साथ-साथ कुछ कठोर कदम उठाने की भी जरूरत है जिससे कि आज तक भारतीय राजनीतिज्ञ बचते आए हैं। क्योंकि इससे उनका राजनीतिक जीवन ही दाँव पर लग सकता है। बुद्ध, नानक, कबीर, अंबेडकर आदि ने तो अपने-अपने काल में अपना पूरा प्रयास किया लेकिन अब फिर से जरूरत है ईमानदार प्रबुद्धों की जो इस समस्या को राष्ट्र के राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर रखकर इसके समाधान पर चर्चा करें। इसके लिए विवाद कम विचार ज्यादा करने की आवश्यकता है।

भारत में जाति के मुद्दे को समाज से दूर करने और मिटाने में सबसे जटिल चुनौती इसकी व्यापक सामाजिक स्वीकृति है। जब तक यह परिवर्तन नहीं होगा तब तक मानवता के लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि संविधान में लिखित कानून लोगों को शोषण से बचा सकता है, लेकिन तथाकथित सवर्णों के प्रति लोगों का नजरिया नहीं बदल सकता। सामाजिक न्याय के सही अर्थ को प्राप्त करने के लिए युवा और आधुनिक पीढ़ी हमारे देश की एकमात्र आशा हो सकती है।

❖ ❖ ❖

अपना भाग्य तुम स्वयं बनाओ

श्रीमती मोनिका सिन्हा
बहन, श्रीमती रिंकू सिन्हा
स.ले.प.अ.

उठ जाओ कि रात ढल चुकी,
उठ जाओ कि भोर हो चुकी,
उठ जाओ कि सूरज उग चुका,
देखो अब नया सवेरा हो चुका।

भूलो पिछली रातों की बातें,
अँधियारे पल की वो यादें,
यूं बैठ बेकार आँसू न बहाओ,
सोचो अब मत, बस कुछ कर जाओ।

यही नयी सुबह का उजियारा है,
जिसने दूर भगाया अँधियारा है,
खुद में आशा की ज्योत जलाओ,
अपना भाग्य तुम स्वयं बनाओ।

निकलो अपने डर के पिंजरे से,
फिर धीरे से तुम पंख पसारो,
भरो उड़ान तुम आसमान में,
किसी और की न राह निहारो।

कर जाओ अब तुम कुछ ऐसा,
कि जग बनना चाहे तुम जैसा
चट्टानों को काट-काट कर,
खुद की नई एक राह बनाओ।

❖ ❖ ❖

बचपन

सुश्री यशी श्रीवास्तव
क. अनुवादक

व्यक्ति के जीवन का सबसे सुखद समय और अद्वितीय मोड़ होता है- बचपन। यह हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान और सुखद धारा है। यह जीवन का वह समय होता है जिसे हम बिना किसी चिंता और परेशानियों के खुशी-खुशी बिता सकते हैं। बचपन की यादें हमें हमेशा हँसी और मस्ती के पल और सफर की याद दिलाती हैं।

बचपन का सबसे मोहक हिस्सा है- अविच्छेद बातचीत, मिलने और खेलने का समय। दोस्तों के साथ खेलते वक़्त खुद को खो देना, खिलौनों और पुस्तकों के साथ बिताए गए घंटे और छोटी-छोटी बातों पर रूठना-मनाना, हँसना-रोना, आदि बचपन का सौभाग्य होता है। हमारी बचपन की यादें जीवनकाल में सबसे विशेष होती हैं, क्योंकि निरंतर बदलते जीवन में भी वह कभी न कभी याद आती ही रहती हैं। वो यादें हमें यह सीख भी देती हैं कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और परम उद्देश्य है मानवीय संबंध बनाए रखना और हर हाल में खुश रहना। इन यादों में स्कूल के दिन, परिवार के साथ गुज़रा वक़्त, भाई-बहनों और मित्रों के साथ खेल-कूद और पढ़ाई में बीते अनमोल वक़्त शामिल हैं।

बाल्यावस्था में हम हर बात पर ज़्यादा सोचने के बजाय अपने आत्मविश्वास, खुशी को बढ़ाने और स्थिरता को बनाने पर ध्यान देते हैं। यह जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण होता है जो हमारे सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। यह समय हम बिना किसी चिंता के और बिना किसी बाधाओं के बिताते हैं, लेकिन ये वक़्त भी बदल जाता है। वयस्क होने के साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा जीवन में गंभीरतापूर्वक स्थितियों को समझना और संभालना पड़ता है। शिक्षा के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और खुद से सीखकर गहरी समझ और अनुभव प्राप्त करते हैं। वो बचपन की मासूमियत और सरलता बड़े होने के साथ ही जीवन से चली जाती है, लेकिन उसकी छवि हमें हमेशा सुख महसूस कराती है।

आज की इस तनावपूर्ण जीवनशैली में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने जीवन के उस पहले भाग की यादों और विचारों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएँ और कुछ सरल आदर्शों एवं आदतों को जीवन का भाग बनाएँ। बचपन का सफर बहुत खास होता है जो हमें सही मायने में जीवन को जीना सिखाता है। यह हमारे आज की और आने वाले कल की एक अमूल्य धरोहर होती है जिसे सराहना चाहिए और इसके प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। तभी हम सही मायने में जीवन जी सकते हैं।

❖❖❖

कोरा पन्ना

श्री वाई. के. दीपक
स.ले.प.अ.

निस्संदेह माँ का त्याग सर्वोपरि होता है पर हम पिता के संघर्ष को प्राय: भूल जाते हैं। पुरुष के दर्द को शब्द नहीं मिलते।

वह पुरुष जो पूरे घर के लिये खुद को घिसता है, कई रिश्तों के द्वंद्व के बीच सतत पिसता है।

अपने बच्चों के लिये कभी रात भर जागता है, और दिन भर काम के सिलसिले में भागता है।

और इन सबके बीच उसकी खुद की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। यह कविता ''कोरा पन्ना'' पिता के बारे में है। पुरुष के बारे में है। याद कीजिये कि कैसे स्कूल में जब भी कभी कोई क्लास वर्क अधूरा रह जाता तो हम कुछ पन्ने कोरे छोड़ देते थे, और फिर अक्सर वो पन्ने यूं ही कोरे ही रह जाते थे। ऐसा ही डायरी लिखते समय भी होता है। और कुछ ऐसा ही हम सबके साथ ज़िंदगी में भी होता है जब कई अधूरी ख़्वाहिशों के पन्ने इस कारण कोरे ही रह जाते हैं कि वर्तमान की जिम्मेदारियों के बीच हमें समय ही नहीं मिल पाता है।

बस इसी भूमिका के साथ पेश है, कुछ पंक्तियाँ उसी कोरे पन्ने की जुबानी...

ज़िंदगी और ख़्वाब के बीच
की कशीदगी में जब
रोज़नामचे का उस दिन का
सफ़्हा स्याह हो जाता है,
और जिम्मेदारियों के तले
दिल अपनी कुछ अदद
नाकामयाब हसरतों से
लापरवाह हो जाता है।
तब वही नामुकम्मल
सा रह गया स्वप्न
फ़र्ज़ को समझाता है,
और यूं तन्हाई में
ज़िन्दगी का वो कोरा पन्ना
मुझसे बतियाता है।

माना
माना कि
जीवन के तेरे
अध्याय सारे तय थे
और मेरे लिये सोचने को
न फुर्सत न समय थे।
तू सबों के लिये सोचने में
ही बस मशगूल था,
और तुम्हें खुद को
भूल जाना कबूल था।

जरा रुक कर
और थोड़ा ठहर कर
अपने लिये भी
कभी तो सोच लेते,

सबके लिये जो यूं
अपने दिन रात लुटाते हो
उनमें से कुछ पल ही
खुद के लिये दबोच लेते।
तुम्हें क्या खबर कि
जब तू कहीं और
यूँ ही खोया था,
तब तुझे याद कर
यहां अकेले में
मैं कितना रोया था।

क्या तुम्हें याद भी है
कौन कौन सा पन्ना
कोरा छूट गया है,
यानि कि तू अपनी
किन किन हसरतों से
पूरा रूठ गया है।
पता है मुझे कि
तू सुनेगा नहीं
पर दोहराता हूँ।
तेरी अधूरी ख्वाहिशें
ज़रा तुमको ही
याद तो दिलाता हूँ।
तुम्हें अपने किसी
रेशमी स्वप्न
की राहों में खोना था,
अपनी तन्हाई के कांधे पर
अपना सर रख कर
ज़ार ज़ार रोना था।
कुछ खुशनुमें घटाओं
की फुहारों में भींगना था
तुम्हें चाहतों के संग,
और भरना था ना
तुम्हें खाली पलकों पर
उन अनाहतों के रंग।

अपने शौक को
अपनी कामना
अभिलाषा को
तुझे पिरोना था
और कुछ पुराने संगियों
पुरानी यादों से
रु-बरु होना था
न जाने अपनी ऐसी
कितनी ही ख्वाहिशों
से मुंह मोड़ा है,
और कितने पन्नों
को यूं ही तुमने
कोरा ही छोड़ा है।
हाँ, पता है,
पता है मुझे
तू फिर से यूं ही
भावनाओं में बहेगा,
अनबुझी प्यास को
इन ख्वाहिशों को
अपने दिल से ही
कभी नहीं कहेगा,
और तुमने जो मुझे
यूँ कोरा छोड़ा है
ये कोरा ही रहेगा।
पर क्या हुआ
कि तेरी ये हसरतें
जो अधूरी हैं,
शायद इनके लिये
ईश्वर की कुछ
खास मंजूरी है,
और यूँ भी वो
जिम्मेदारियां जो
निभायी है तूने
ज्यादा जरूरी हैं।

और सही भी है
पूरा न होना चंद
तमन्नाओं का,
ज़िंदगी नाम ही है
कुछ ऐसी ही
आशनाओं का।
बस इन कोरे पन्नों को
ज़िंदगी की किताब से
कभी हटने मत देना,
उम्मीद की डोर को
फ़र्ज़ के हाथों से
छूटने मत देना,
और तुम अपने
सपनों को
कभी टूटने मत देना...
कभी टूटने मत देना..!!!!!

❖ ❖ ❖

मेरा क्या है ... ?

सुश्री वंदना
डी. ई. ओ.

लम्हें यहाँ कुछ ही हैं, पर इसमें करना बहुत कुछ है । सब कुछ तो है,पर बताओ, इसमें मेरा क्या है? दुनिया में अपने आस पास देखूँ, तो दो चीज़ें मुझे दिखती हैं–एक– हक़ीक़त, दूसरा – नज़रिया । हर एक का अपना एक नज़रिया होता है । किसी को भलाई पर भरोसा है, किसी को बुराई ही असलियत लगती है। किसी को दुनिया की परवाह नहीं, तो कोई,बार–बार बेवकूफ़ बन कर भी सबको अपना ही मानता है । कैसा खेल है यह नज़रिये का? कोई अच्छाई में भी कोई न कोई बुराई ढूंढ ही लेता है तो कोई बुराई में भी अच्छाई देख ही लेता है। पर ये ज़िंदगी अपनी दोस्ती ज़रूर निभाती है। बड़े तरीके से ये ठोकर मारती है । एक नए तरीके से यह खुद को और दुनिया को देखने का मौका ज़रूर देती है। बहती इन हवाओं के बवंडर में छोटे से फूल की खुशबू को भी महसूस करने का मौका देती है ।

ज़िंदगी है ही कुछ ऐसी कि यहाँ अपने भी हमें कभी न कभी छोड़ कर चले जाते हैं। कामयाबी भी कभी न कभी धुंधली हो जाती है। गुरूर, सपने, भरोसे, उम्मीदें सब टूट जाते हैं और सभी कभी न कभी अकेला महसूस करते हैं। जिसके पीछे जितना भागते हैं, पैसा, कामयाबी, प्यार, इंसान, खुशियाँ, वो सब पास आ कर भी पता नहीं क्यूँ दूर ही दिखते हैं। खुदा ने यह मुसीबतें भी कुछ सोच समझ कर ही बनाई हैं। वो शायद चाहता ही है की हम कहीं ख्यालों में उलझे, कहीं लम्हों में तड़पे, कहीं अकेले पड़ जाए और किसी दिन उठ कर कहें कि बस! और बस, उसी दिन, हम बाहर आएंगे, एक नई सीख के साथ, एक नए नज़रिये के साथ।

क्या है ज़िंदगी की हक़ीक़त, पता नहीं। मुझे इतना पता है की इस दुनिया में मेरा क्या है ... ? मेरा एक नज़रिया है। एक नज़रिया – जो कुछ सोच कर, कुछ ना सोच कर पाया है । एक नज़रिया – जो आज है, और शायद, कल ना भी हो। नज़रिया – जो ज़िंदगी को बदतर बनाता है, और नज़रिया – जो ज़िंदगी में ज़िंदगी भी भर देता है। इसमें ना कोई अच्छा है न कोई बुरा है। सभी कच्चे हैं और यही तजुर्बे सच्चे हैं। यह तकलीफ़ें, ये चमक, ये कमजोरी, ये कामयाबी, ये डर, ये जुनून, ये दर्द, ये सुकून – ये सब मेरा है, और इसके लिए दुनिया नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ।

यही मेरा नज़रिया है । और यही नज़रिया मेरा है । यही है जो मेरा है......!!!

❖ ❖ ❖

नारी

सुश्री नीना वर्मा
व.ले.प.अ.

नारी हर युग में हुई प्रताड़ित
सतयुग से कलयुग तक
हुई कलंकित ।
झेली सीता हरण की त्रासदी कभी
या द्रौपदी बन चीर हरण की ।
सती हुई या कभी जौहर में जली
अहिल्या बन भी नारायण से छली।
सतयुग में तो तिल-तिल जली ही
कलयुग में भी नहीं गई बक्शी
कभी दहेज की आग में गई जलायी
या कभी दी उसे एसिड से विकृति।
पर इतनी यातना प्रताड़ना से नहीं हारी
जो हर हाल में आगे बढ़ी वही है नारी।
कोमलता को उसकी समझा कमजोरी
भोग विलास की वस्तु बनी! जो थी जननी ।
लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई बन ज़माने से लड़ी
मैरी कोम, सिंधू, हिमा दास बन कभी चमकी
बनी कभी पायलेट, वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री
यही नारी थी डॉक्टर, वकील या गृहणी
हर किरदार उसने ईमानदारी से निभाया
कहीं भी पुरुषों से कम नहीं था पाया
बस एक ही विनती है तुझसे ऐ नारी
कर हर स्वप्न पूरा, हासिल कर हर ऊँचाई
पर ना खोना नारी सुलभ छवि अपनी
सुंदर, मृदु, शालीन, ममता से भरी।।

❖ ❖ ❖

चंद मुक्तक

श्रीमती कंचन
पत्नी, श्री. वाई. के. दीपक,
स.ले.प.अ.

आँखों का आँखों में खोना
जादू सबने जानी है
आँखों में डूब जाना इसकी तो
अलग कहानी है
आँखों से दिल तक ना पहुँचे
दिल की ही बात
आँखों का फिर आँखों से मिलना
ही बेमानी है।

सावन की रिमझिम में दिल को डुबो कर देखता हूँ
पुरानी यादें सूखी पड़ी हैं ज़रा भिंगो कर देखता हूँ।
खुशी से ताल्लुक अपना कुछ ऐसा रहा है मेरे यार
कभी मिलती है तो खुद को सूई चुभो कर देखता हूँ।

कभी मीठी तो कभी कसैली सी है
ये बंद मुट्ठी भी खाली हथेली ही है
प्रश्न इसके तू कितने भी हल कर ले
ज़िंदगी थी पहेली, पहेली ही है।

अंधेरी रातों में भी बस उजाले लिखेंगे
चाहे सुबहा तक जलके हम काले दिखेंगे
जगमगाता दीपक तो है ज़माने के लिए
झांक अंदर तो फिर दिल के छाले दिखेंगे।

❖ ❖ ❖

मैं गंगा हूँ

सुश्री नीलम देवी
क. अनुवादक

नदी नहीं मैं आशा हूँ,
जीवन की परिभाषा हूँ ।
सबको जीवन देने वाली
खुशियों की अभिलाषा हूँ ।।
सदियाँ मुझसे तृप्त हुई,
सदियों की बुझाती प्यास हूँ ।
कल-कल करती धारों से हर युग का विश्वास हूँ ।।
उत्सवों से भरी हुई मैं सहज एक उल्लास हूँ ।
वसुधा के आँचल में सिमटी हर दिल के मैं पास हूँ ।।

हरे-भरे वृक्षों का मैं ममता और अभिमान हूँ ।
बच्चों का कौतूहल हूँ, बुजुर्गों का सम्मान हूँ ।।
हरियाली संग शीतलता का मृदुल रूप प्रतिमान हूँ ।
अविरल और अनवरत बहती
पर्यावरण का उत्थान हूँ ।।

जन्म से लेकर मरण तक हर कहानी की गवाह हूँ ।
दैनिकता की उन्मुक्तता में स्वच्छंदता का प्रवाह हूँ ।।
किसी को देती जीवन तो किसी की
मुक्ति की चाह हूँ।
रवि की किरणों से आलोकित सपनों वाली राह हूँ ।।

अपने धवल रूप से मैंने धरती को हर रंग में रंगा ।
हिमालय की गोद से निकली मैं हूँ
पतित पावनी गंगा।।

❖ ❖ ❖

जीवन गीत

श्री विजय इस्सर 'वत्स'
पिता, श्रीमती मयना कुमारी इस्सर,
क. अनुवादक

मन की पीड़ा-कष्ट भुलाकर
सबसे मिल मुसकाना होगा
सुख-दुख की स्याही से लिखा
ये जीवन गीत है; गाना होगा।

है धूप-छाँव का खेल यहाँ
है दिवा-रात्रि का मेल यहाँ
तिमिर अंध से निकल सूर्य को
ज्योति-कलश छलकाना होगा।
ये जीवन गीत है; गाना होगा।

अनजाने घर दुल्हन आई
अपनी बेटी हुई पराई
मिलन-जुदाई का यह संगम
जगत-रीत अपनाना होगा।
ये जीवन गीत है; गाना होगा।

कौन यहाँ जो दुखी नहीं है
सुख किसके संग सदा रही है
राम बनें तो जंगल भटके
सीता बन जल जाना होगा।
ये जीवन-गीत है; गाना होगा।

❖ ❖ ❖

प्लास्टिक : खतरे में भविष्य

श्री मयंक सोनी
भाई, सुश्री मोनिका सोनी
लेखापरीक्षक

''प्रदूषण'', एक ऐसा शब्द है जिससे हर व्यक्ति नफरत करता है। प्रदूषण किसी को पसंद नहीं, फिर यह आता कहाँ से है? इसके लिए इंसान के अतिरिक्त कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह मानव और उसकी गतिविधियाँ हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देती हैं। हमें अपने घर की सफाई करना अच्छा लगता है लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस वातावरण में हम सांस लेते हैं वह भी हमारा घर है। हमारे वातावरण में दिन–प्रतिदिन प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है और औद्योगिक क्रांति के समय से इसमें काफी तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कारखानों और वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। जहाँ एक तरफ वाहनों व कारखाने से निकलते धुएं ने हवा को प्रदूषित करके हमारे जीवन को संकट में डाल दिया है वहीं दूसरी तरफ उद्योगों और घरों से निकलने वाले कचरे ने जल और भूमि प्रदूषण में अपना योगदान दिया है, जिसके कारण कई गंभीर बीमारियों ने जन्म लिया है।

दूसरे कारकों की तरह ही आज के समय में प्लास्टिक भी हमारी पृथ्वी व उसके वातावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाता है। प्लास्टिक, जिसे तेल और पेट्रोलियम जैसे जीवाष्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग बड़े रुप से प्लास्टिक बैग, रसोई का सामान, फर्नीचर, दरवाजे, पैकिंग के सामान के अतिरिक्त अन्य कई चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। लोग प्लास्टिक से बने सामान को लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह लकड़ी और धातु के वस्तुओं की तुलना में काफी हल्के और किफायती होते हैं।

प्लास्टिक के सभी रुपों में सर्वाधिक प्रसिद्ध व घातक है – प्लास्टिक बैग। वजन में हल्के व आसानी से उपयोग में आने के कारण यह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त सामान खरीदते समय हमें इन्हें कपड़े व कागज के बैगों की तरह खरीदना भी नहीं पड़ता है। क्योंकि यह काफी किफायती होते हैं इसलिए सामान खरीदने पर दुकानदारों द्वारा मुफ्त में दे दिये जाते हैं। इन्हीं कारणों से दुकानदारों व खरीददारों द्वारा प्लास्टिक बैगों को अधिक पसंद किया जाता है।

प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के द्वारा फैलने वाले प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। यह एक नॉन–बायोडिग्रेडेबल वस्तु है अर्थात यह छोटे–छोटे कणों में टूट जाते हैं और जमीन तथा जल के स्रोतों में प्रवेश कर जाते हैं, परन्तु यह विघटित नहीं होते हैं। पिछले कुछ दशकों में पीने के पानी की गुणवत्ता में काफी तेजी से कमी आयी है। प्लास्टिक को जलाकर भी नहीं खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके दहन से कई जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं जो गंभीर बीमारियों के कारक हैं। प्लास्टिक बैगों के द्वारा भारी मात्रा में नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की उत्पत्ति होती है और यह कचरा लगभग 500 वर्षों तक पृथ्वी पर बना रहता है।

कुछ वर्ष पहले दक्षिणी स्पेन के समुद्री तट पर बहकर आई एक मरी हुई स्पर्म व्हेल ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जाँच से ज्ञात हुआ कि उसके पेट और आंतों में जमे 64 पाउंड के प्लास्टिक कचरे ने उसकी जान ले ली थी। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में हमारी पृथ्वी हानिकारक प्लास्टिक कचरे के सैलाब से भर गयी है? ताज्जुब तो यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी में प्लास्टिक के बिना सभी कार्य असंभव से दिखते हैं। दूर-दराज के आईलैन्ड से लेकर आर्कटिक तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्लास्टिक की मौजूदगी न हो। अगर यही ट्रेंड रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे महासागरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। शायद 2050 तक ही यह स्थिति देखने को मिल जाए यदि इस सन्दर्भ में ठोस कदम न उठाये गये तो।

प्लास्टिक बैग हमारी पृथ्वी पर वास करने वाले विभिन्न जलीय व स्थलीय जीव-जन्तुओं के लिए तो घातक है ही अपितु मानव जाति के लिए भी हानिकारक है। इसके उत्पादन से कई प्रकार के जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं, जो इसके निर्माणकर्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। इन बैगों का अधिकतर उपयोग खाद्य सामग्रियों के पैकिंग में किया जाता है जिससे कुछ जहरीले तत्व खाद्य वस्तुओं को प्रदूषित कर देते हैं और इस तरह की सामग्री ग्रहण करने पर फूड प्वॉइजनिंग, आंत सम्बन्धी समस्या के अलावा अन्य कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक द्वारा मनुष्यों को कैंसर होने का भी खतरा रहता है।

इसके अतिरिक्त फेंके गए खराब प्लास्टिक बैग पानी व हवा द्वारा बहा लिये जाते हैं और नालियों व सीवरों में फंस जाते हैं। इस प्रकार से रुका हुआ सीवेज सिस्टम मनुष्यों व जीव-जन्तुओं के लिए खास तौर से बरसात में एक गंभीर संकट बन जाता है।

हालाँकि प्लास्टिक प्रदूषण से भविष्य में होने वाले खतरे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा कई राज्यों में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा चुका है फिर भी लोग इनका उपयोग करते हुए देखे जाते हैं। दुकानदार कुछ दिन के लिए खरीददारों को बैग देना बंद कर देते हैं और कुछ समय पश्चात फिर से इनका उपयोग चालू कर देते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा प्लास्टिक बैगों के उत्पादन और वितरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। यह वह समय है, जब हमें भी इस प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देने की आवश्यकता है।

ऐसे कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर इस गम्भीर संकट से हमारे पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है जैसे –

उपयोग पर नियंत्रण करना : क्योंकि हम प्लास्टिक बैगों का उपयोग करने के आदी हैं इसलिए अचानक इनका उपयोग बंद कर देना हमारे लिए थोड़ा कठिन है। इस योजना में सफल होने के लिए हमें पर्यावरण पर होने वाले इसके दुष्प्रभावों को समझना होगा और इनके उपयोग पर नियंत्रण करना होगा जिससे कुछ दिनों में हमारी प्लास्टिक बैग उपयोग करने की आदत छूट जाएगी।

विकल्पों को अपनाना : प्लास्टिक के अतिरिक्त पर्यावरण के अनुकूल ऐसी अन्य कई वस्तुएँ हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। किराने

के दुकान से सामान लाने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े या जूट का बैग लेकर जा सकते हैं जिनका बार–बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

पुनः उपयोग : प्लास्टिक प्रदूषण दूर करने के लिए सिंगल यूज वाले प्लास्टिक बैग पर रोक लगाना और प्लास्टिक के उत्पादन व वितरण पर नियंत्रण करना चाहिए। हमें हमारे घर में पड़े प्लास्टिक बैगों को फेंकने से पहले जितनी बार संभव हो सके उनका उतनी बार उपयोग करना चाहिए। क्योंकि 'उपयोग करना और फेंकना' वाली अर्थव्यवस्था को फिर से डिजाइन करके उसे चक्रीय बनाना ही एकमात्र दीर्घकालिक समाधान हो सकता है।

जागरुकता फैलाकर : इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा भी प्लास्टिक के नकारात्मक प्रभाव को लेकर लोगों में जागरुकता फैलानी चाहिए और प्रचार–प्रसार तथा लोगों के मध्य मौखिक रुप से इसके विषय में जानकारी फैलाकर इसे प्रतिबंधित करना चाहिए।

प्लास्टिक प्रदूषण अब एक बड़ा रुप धारण कर चुका है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष हम जितना प्लास्टिक फेंक देते हैं उससे धरती को 4 बार घेरा जा सकता है।

प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान की जानकारी अपने आप में नाकाफ़ी है जब तक इसके नुकसान जानने के बाद ठोस कदम न उठाए जाएँ। सरकार व पर्यावरण संस्थाओं के अतिरिक्त भी हर एक नागरिक की पर्यावरण के प्रति कुछ खास जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें यदि समझ लिया जाए तो पर्यावरण को होने वाली हानि को बहुत हद तक कम किया जा सकता है तथा एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

❖ ❖ ❖

विरह राग

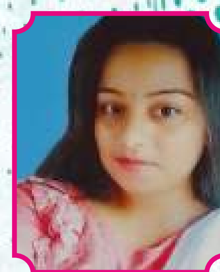

सुश्री श्वेता
बहन, श्री धीरेंद्र कुमार,
क. अनुवादक
शाखा कार्यालय, मुंबई

बंजारों सा घूम रहा मैं लिए
अंधेर चिराग
सुन ले कोई गर सुन सकता हो
मेरा प्रेम विरह का राग।
षडयंत्र रचा जो मेरे पीछे
मुझको मुझ से काट दिया
अपना अपना कहने वाले
तुमने खुद से मुझको बाँट दिया
घूम रहा हूँ धरे बोझ सा तेरे हिस्से का वो भाग
सुन ले कोई गर सुन सकता हो मेरा प्रेम विरह का राग।
मधुरिम गान भौंरों का भी
बस नव किसलय के खातिर है
त्याग वेदना का उद्गार
अंबर धरा के बीच में हाजिर है
कोई बूंद भी क्या धो सकती है चाँद के घावों के दाग
सुन ले कोई गर सुन सकता हो मेरा प्रेम विरह का राग।।

❖ ❖ ❖

डिजिटल खुशी

श्री किशन चतुर्वेदी
भाई, सुश्री नीलम देवी,
क. अनुवादक

बदलते परिवेश में जब से सोशल मीडिया ने अपनी जगह बनायी है, वास्तविक खुशियों ने डिजिटल खुशियों का रुप कब ले लिया पता ही नहीं चला। चेहरों की मासूम मुस्कान ने स्मार्टफोन की सेल्फी से समझौता कर लिया। जितने बर्थडे व्हाट्सऐप के स्टेटस, फेसबुक की पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरी में मनाए जाते हैं, क्या उतने वास्तविक जीवन में भी मनाए जाते होंगे? इस प्रश्न को सुनकर जो जवाब आपके मस्तिष्क में आया है, उसे हर कोई महसूस कर सकता है। मुहल्ले के श्यामलाल अंकल को उनके बेटों ने कभी इतने प्यार से सच में केक खिलाया नहीं होगा, जितनी शिद्दत से फादर्स डे पर उनकी तस्वीर के साथ केक लगाकर स्टेटस डालते हैं। शायद इसका भी वह कॉमन और दुविधाजनक जवाब हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा होगा। पड़ोस के घर में रहने वाली बीमार विमला आंटी की बहुएँ क्या वास्तव में उनसे इतना ही स्नेह करती होंगी, जितना मदर्स डे पर उनके साथ गले लगकर खिंचाई गयी तस्वीर में ''हैप्पी मदर्स डे माँ'' लिखकर व्हाट्सऐप स्टेटस में 8-10 हार्ट की ईमोजी चिपका देती हैं? इन सभी बातों को पढ़कर आपके ज़हन में भी वही जवाब कौंधा होगा जो इस वक्त मेरे।

सवाल यह नहीं है कि ये सब करना गलत है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में दिखावा करने में हमें इतनी खुशी मिलती है कि वास्तविक खुशी का भान नहीं हो पाता? या यूँ कहें कि हम अपनी वास्तविकता को ही दिखावे के पर्दे में ढकना चाहते हैं, अथवा हम इतने असंवेदनशील हो गये हैं कि बस दिखावे के लिए ही जिए जा रहे हैं। स्थिति यह है कि हम न तो खुद के वास्तविक किरदार से परिचित हो पा रहे हैं, न ही रिश्तों की अहमियत से।

क्या सच में यह कहना तर्कसंगत होगा कि हमारी रियल लाइफ को वर्तमान रील लाइफ ने रिप्लेस कर दिया है, और हम जीवन की वास्तविक खुशियों को कट करके डिजिटल खुशियों को पेस्ट करते जा रहे हैं? हम अपने खास रिश्तों के प्यार को फेसबुक और व्हाट्सऐप की स्टोरी में तलाश रहे हैं और इसी चकाचौंध का हिस्सा बनने के क्रम में अपने स्वाभाविक जज़्बातों को दफ़न करते जा रहे हैं।

सवाल जितना सरल है, उतना ही अहम भी, वक्त निकालकर सोचिएगा जरुर ... ।

❖ ❖ ❖

मन की शांति

श्री सुभाष निकम
वरिष्ठ लेखापरीक्षक
शाखा कार्यालय, मुंबई

एक अमीर आदमी के पास बहुत अधिक संपत्ति थी लेकिन उसके मन में फिर भी शांति नहीं थी । वह हमेशा सोचता रहता था कि आखिर मन की शांति कहाँ और कैसे मिलेगी । उसी समय उसे पता लगा कि गाँव के बाहर आश्रम में एक महात्मा रहते हैं जो हमेशा पूजा पाठ तथा ध्यान में लगे रहते हैं । उस अमीर व्यक्ति ने सोचा, ''शायद मेरी समस्या का हल उनके पास होगा''। वह व्यक्ति उन महात्मा के पास आश्रम में पहुँचा और प्रणाम करने के बाद पूछा कि ''महाराज मुझे मन की शांति कहाँ मिलेगी?'' महात्मा ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और उससे कहा कि ''इस समस्या का हल जानने के लिए जैसा मैं कहूँ आपको करना पड़ेगा''। वह व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि ''महाराज मुझे क्या करना होगा?'' महात्मा जी ने कहा कि ''आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आप मुझे देखते रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ।'' व्यक्ति ने कहा ''ये तो बड़ा आसान काम है, मैं ऐसा ही करूंगा।''

दूसरे दिन महात्मा जी ने उस अमीर व्यक्ति को बाहर खुली धूप मैं बैठाया और स्वयं छाया में विश्राम करने लगे। वह उनको देखता रहा और सोचने लगा कि ''मुझे तो धूप में बैठा दिया और खुद छाया में बैठे आराम कर रहे हैं। आखिर ये मुझसे क्या करवा रहे हैं?'' किसी तरह शाम हो गई लेकिन महात्मा ने उसे कुछ नहीं बताया । दूसरे दिन उस व्यक्ति को महात्मा जी ने छाया में बैठाया लेकिन पूरे दिन खाने को कुछ नहीं दिया और स्वयं महात्मा जी सुंदर-सुंदर पकवान खाते रहे। शाम को फिर महात्मा जी ने कुछ भी नहीं बताया । तीसरे दिन उस व्यक्ति को छाया में बैठाया तथा खाने को भी अच्छा दिया और स्वयं उस व्यक्ति के सामने योग व ध्यान करते रहे, वह व्यक्ति उनको देखता रहा । अंत में शाम को वह व्यक्ति झुँझला कर महात्मा जी से पूछने लगा ''आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि मन की शांति कहाँ मिलेगी।'' तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि ''मैंने प्रश्न का जवाब पहले ही दिन दे दिया था कि जो मैं कर रहा था वह तुम्हारे किसी काम नहीं आयेगा। जो मैं खा रहा हूँ वह भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है और जो मैं योग कर रहा था वह भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता जब तक तुम उसके लिए स्वयं प्रयास नहीं करते । तुमको यदि मन की शांति चाहिए तो तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। किसी दूसरे के प्रयास से तुमको शांति नहीं मिल सकती है।'' उस अमीर व्यक्ति को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया और वह खुशी से घर चला गया तथा महात्मा जी द्वारा बताए गए नियम के अनुसार मन की शांति के लिए प्रयास करने लगा ।

❖ ❖ ❖

मृत्यु टाली नहीं जा सकती

श्री पी. जे. तुरबाड़कर
पर्यवेक्षक
शाखा कार्यालय, मुंबई

विष्णु गरूड़ पर बैठ कर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़ कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख कर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएँगे। गरूड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हज़ारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया, और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरूड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले ''गरुड़ जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गये मृत्यू टाले नहीं टलती चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं करता तू वह है जो तू चाहता है परन्तु होता वह है जो मैं चाहता हूँ।

❖❖❖

जीवन की किताब

श्रीमती नयना कुमारी इस्सर
क. अनुवादक

अपने जीवन को ही पढ़ लें ऐसी कोई किताब नहीं है
इसके उलझन सुलझाने बैठे तो इससे कठिन हिसाब नहीं है।
सबके हैं कुछ अपने सपनें जीते हैं जो जिसके खातिर
पूरा हो जाए गर झट से फिर वो अच्छा ख्वाब नहीं है।
कोई सवाल खड़ा हो जाए चलते राह कभी आपस में
मुँह पर आई बात तुरत कह देना उचित जवाब नहीं है।
आना जाना दो शब्दों के बीच नहीं है दूरी लेकिन
आना जाना ही दंगल है जिसका कोई खिताब नहीं है।
सखा न पालो नफरत दिल में देख न पाओगे सच्चाई
कड़वी बोली है जिसकी पर वह इंसान खराब नहीं है।

❖❖❖

परोपकार

श्री वसीम मिन्हास
हिंदी अधिकारी

एक सामाजिक प्राणी होने के नाते परस्पर सहयोग मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सामान्यतः मनुष्य में दो प्रकार की वृत्तियाँ काम करती हैं। एक निज स्वार्थ साधन या निज हित की तथा दूसरी परहिताय अथवा परमार्थ की। परमार्थ की भावना से किया गया कार्य परोपकार के अंतर्गत आता है। निश्चय ही निज स्वार्थ साधन के संकुचित सरोकार की अपेक्षा परोपकार का दायरा बहुत विस्तृत एवं मानव कल्याणोन्मुखी होता है। वास्तव में मानवता का सही अर्थ परोपकार है। मनुष्य, समाज, देश, राष्ट्र और सृष्टि विकास में परोपकार की महत्ता निर्विवाद रूप से प्रमाणित है। प्रेम, भ्रातृत्व, दया, अनुराग, अपनत्व, करुणा इत्यादि सदवृत्तियों के मूल में परोकार की भावना है; इनके अभाव में एक अच्छे और नैतिक मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सज्जन व्यक्ति सदैव निज हित-अहित की चिंता छोड़कर दूसरों की सेवा या सहायता करने हेतु तत्पर रहते हैं।

सम्पूर्ण प्रकृति परोपकार का बेहतरीन एवं नायाब उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रकृति का कण-कण प्रति क्षण परोपकार में निमग्न है। कवि पंडित नरेन्द्र शर्मा के निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रकृति के इस उदात्त गुण की सार्थक अभिव्यंजना हुई है-

''सर्जित होते मेघ विसर्जित कण-कण पर हो जाने,
सरिता कभी नहीं बहती है अपनी प्यास बुझाने।
देती रहती आधार धरा क्या हमसे पाने,
अपने लिए न रत्नाकर का अंग-अंग बहता है।''

प्रकृति की परोपकारी वृत्ति से मनुष्य को प्रेरणा लेकर अपने भीतर सहज रूप से इसके विकास का प्रयास करना चाहिए । आज जीवन की आपाधापी में मनुष्य परोपकार से लगातार दूर होता जा रहा है, यह बहुत चिंता और खेद का विषय है।

अनादि काल से परोपकार भारतीय संस्कृति की एक महनीय विशेषता रही है। भारत की पावन धरा पर ऐसे अनेक महान व्यक्तियों ने अवतार लिया है जिन्होंने अपना सर्वस्व परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। ऋषि दधीचि का अस्थिदान, रन्तिदेव का अन्नदान, कर्ण का कवच एवं कुण्डल दान इत्यादि पौराणिक आख्यान भारतीय संस्कृति की परोपकारी वृत्ति की श्रेष्ठ गाथा वर्णित करते हैं। मध्यकालीन कई महान संतों तथा भक्तों ने लोक कल्याण के निहितार्थ अपना जीवन अर्पित कर दिया। राष्ट्रपिता गाँधी जी तथा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले भारत माता के वीर पुत्रों ने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी प्रकार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी भाँति-भाँति के आविष्कारों से जन-कल्याण किया है।

परोपकार का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह वास्तव में मनुष्य को मनुष्य होने की गरिमा से मंडित करता है। मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके पास दिमाग के साथ-साथ एक संवेदनशील हृदय भी होता है, जिससे वह दूसरों के सुख-दुख का अनुभव कर तद्नुसार

व्यवहार करता है। ईश्वर के इस उत्कृष्ट देन की उपादेयता को समझते हुए परोपकार मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिए। कवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में–

''यही पशु–प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।''

परोपकार एक सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक उदात्त मानवीय गुण है, जो किसी भी समाज, देश तथा जाति की उन्नति एवं प्रगति का अहम कारक होता है। वर्तमान भौतिकवादी युग में परोपकार की भावना के नितान्त अभाव के कारण मनुष्य से राष्ट्र पर्यन्त सभी स्वार्थ केन्द्रित हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप आज चहुँओर अशान्ति, अराजकता, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या का साम्राज्य स्थापित होता चला जा रहा है। राष्ट्रों की परस्पर स्वार्थसिद्धि की भावना के चलते तमाम देश–दुनिया पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि मौजूदा व्यवसायिक अथवा बाजारवादी दौर में जब मनुष्य आत्मिक सुखों से लगातार वंचित होता जा रहा है, ऐसे में परोपकार के माध्यम से हम पुनः सच्चे आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। परोपकार हमारी आत्मा का विस्तार कर हमारे सद्वृत्तियों को उजागर करने में सहायक होता है। इतिहास साक्षी है कि परोपकारी व्यक्तियों ने ही देश एवं समाज को दिशा–दृष्टि प्रदान की है एवं समाज में पूजनीय स्थान ग्रहण किया है। भारत अपनी परोपकारी परम्परा के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। शत प्रतिशत सत्य है कि सामयिक प्रतिकूल परिस्थितियों में यह परम्परा क्षीण एवं धूमिल हुई है किन्तु इस परम्परा को आगे बढ़ाने में ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं तथा ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणिपश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।'' की अवधारणा को साकार कर सकते हैं।

❖ ❖ ❖

ख़ुशी

श्रीमती प्रिती रविन्द्र ब्राम्हणकर
पत्नी, श्री रविन्द्र ब्राम्हणकर
व. ले. प.
शाखा कार्यालय, मुंबई

खुशी मन की एक अवस्था है,
हर्षोल्लास के अवसरों पर आप
पा सकते हैं। कड़ी मेहनत ही
खुशी का राज है।
मेहनत करें और
इसकी खुशी महसूस करें,
प्रेरणा खुशी का स्त्रोत है।
प्रेरित रहें ओर इसका अनुभव करें।

सफलता खुशी का कारण है, चीज़ों को सावधानी से साझा करें और उसका आनंद लें।

प्रेरणा खुशी की कुंजी है, दूसरों के लिए प्रेरित हों और उन्हें प्रबुद्ध करें खुशी के साथ।

पैसे के पीछे मत भागें, उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी।

पारिवारिक संबंधों को महत्व दें, जो असली खजाना हैं। अगर आप चाहते हैं वास्तविक आनंद प्राप्त करना तो उनके साथ खुशी के हर पल साझा करें और दूसरों को भी खुश करें, उनकी खुशी का कारण बनें।

❖ ❖ ❖

हिंदी गृह पत्रिका ''रश्मि'' के 35 वें अंक के विमोचन समारोह की झलकियाँ

''रश्मि'' के **35** वें अंक का विमोचन महालेखाकार महोदय द्वारा राजभाषा अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति में महालेखाकार महोदय के कक्ष में दिनांक 21-03-2023 को किया गया।

पत्रिका का ई-संस्करण कार्यालय - महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर की कार्यालयीन वेबसाइट www.cag.gov.in/ag/nagpur/en पर निम्न पाथ (path) पर पढ़ने हेतु उपलब्ध है :कार्य-प्रशासन-राजभाषा-हिंदी पत्रिका रश्मि (Function-Administration-Rajbhasha-Hindi Magazine Rashmi).

नराकास पुरस्कार वितरण समारोह वर्ष 2023

(i) वर्ष 2021-22 के राजभाषा पत्रिकाओं की गृह पत्रिका श्रेणी में कार्यालय की गृह पत्रिका 'रश्मि' को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

(ii) वर्ष 2022-23 में नराकास के सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कार्यालय – महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–II, महाराष्ट्र, नागपुर के चार कार्मिकों ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए :

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम एवं पदनाम	प्रतियोगिता का नाम	नराकास द्वारा घोषित पुरस्कार
1.	श्री वाई. के. दीपक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	हिंदी काव्यपाठ	द्वितीय
2.	श्री मुकुल अनसिंगकर वरिष्ठ लेखापरीक्षक	अनुवाद	प्रोत्साहन–1
3.	श्री वीरेंद्र सिंह, लेखापरीक्षक	अनुवाद	प्रथम
4.	सुश्री मोनिका सोनी, लेखापरीक्षक	एकाक्षरी चिंतन हिंदी श्रुतलेखन	प्रथम द्वितीय

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

कार्यालय- महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुचारू रूप से जारी है ।

राजभाषा विभाग के निदेशानुसार वर्ष 2023-24 की विगत तिमाहियों की प्रगति रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रेषित किया गया। विभिन्न अनुभागों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अनुभागों को अपेक्षित सुधार करने को कहा गया ।

जनवरी–मार्च, 2023 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2023 को एम. एस. टीम्स ऐप के माध्यम से आयोजित की गई। राजभाषा की प्रगति से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यालय में राजभाषा का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया । हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु वर्ग– ''क'' में से वित्त मुख्यालय–I अनुभाग तथा वर्ग– ''ख'' में से डी.पी.सेल (परिवहन) अनुभाग को ''महालेखाकार चल शील्ड'' प्रदान किया गया ।

अप्रैल–जून, 2023 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2023 को एम. एस. टीम्स ऐप के माध्यम से आयोजित की गई। राजभाषा की प्रगति से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यालय में राजभाषा का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया । हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु वर्ग – ''क'' में से प्रशासन अनुभाग तथा वर्ग – ''ख'' में से आई.टी. समूह मुख्यालय अनुभाग को ''महालेखाकार चल शील्ड'' प्रदान किया गया।

हिंदी कार्यशाला

कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा कार्यान्वयन को सरल एवं सहज बनाने हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अप्रैल-जून, 2023 की कार्यशाला दिनांक-23.05.2023 एवं 24.05.2023 को, जुलाई-सितंबर, 2023 की कार्यशाला दिनांक - 27.07.2023 एवं 28.07.2023 को तथा अक्टूबर-दिसंबर, 2023 की कार्यशाला दिनांक - 12.10.2023 एवं 13.10.2023 को आयोजित की गई।

हिंदी पखवाड़ा - 2023 : विवरणात्मक रिपोर्ट

कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा 2023, दिनांक 14-09-2023 से 28-09-2023 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

हिंदी पखवाड़ा–2023 का उद्घाटन दिनांक 14.09.2023 एवं दिनांक 15.09.2023 को पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन से हुआ, जिसमें इस कार्यालय से श्री वसीम मिन्हास, हिंदी अधिकारी तथा श्री राजेश कुमार कटरे, वरिष्ठ अनुवादक ने भाग लिया।

हिंदी पखवाड़ा–2023 के दौरान कार्यालय में चित्र पर आधारित कहानी लेखन प्रतियोगिता,हिंदी टिप्पणी तथा पत्र लेखन प्रतियोगिता,हिंदी भाषण प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी, अनुवाद प्रतियोगिता, काव्य पाठ प्रतियोगिता तथा हिंदी एकाक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के कार्मिकों ने अधिकाधिक संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा, 2023 का समापन समारोह, दिनांक-28.09.2023 को संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदी पखवाड़ा, 2023 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणामों की घोषणा की गयी तथा विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। तत्पश्चात समापन समारोह के अवसर पर श्री वसीम मिन्हास, हिंदी अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

लेखापरीक्षा के पन्नों से ...

लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए भवन एवं सड़क निर्माण कार्य की लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दुः

लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए भवन एवं सड़क निर्माण कार्य की लेखापरीक्षा में यह सामने आया कि उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अपर्याप्त निधि प्रदान करने के कारण कार्य रुका और पी डब्लू डी के लिए आर्थिक देयता पैदा हुई। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी दुष्प्राप्य सरकारी निधि के 22 करोड़ रु. की बड़ी राशि पी डब्लू प्रभागों द्वारा अनुपयुक्त रह गई। बिजली, जल आपूर्ति के अभाव में और पी डब्लू डी द्वारा निर्मित भवनों को न सौंपे जाने के कारण उपयोगकर्ता विभाग, उन भवनों/इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्देश्यपरक उपयोग नहीं कर सके। अपर्याप्त सर्वेक्षण और गलत अनुमान के परिणामस्वरूप अतिरिक्त एवं अधिक मात्रा में परिहार्य सामग्री लेखापरीक्षा में पाई गई। निर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन में कमियाँ पाई गयीं। निधि के डायवर्जन, एक ही कार्य के लिए एकाधिक आईडी का सृजन तथा डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम (डीसीएमएस) में कार्य की स्थिति प्रदर्शित न होना जैसे मामले पाए गए। निर्माण कार्य की निगरानी और नियंत्रण में कमी के कारण महाराष्ट्र सरकार के दुष्प्राप्य वित्तीय संसाधन, अधूरे कार्यों के कारण अप्रयुक्त या अवरोधित रहे।

योदानकर्ता – श्री वी. एस. घाडगे, व.ले.प.अ., श्री एम. एस. मन्नी, व.ले.प.अ., श्री. बी. एल. सिंह, व.ले.प.अ., श्री ए. एस. बरुआ, व.ले.प.अ. तथा उनका लेखापरीक्षा दल।

महाराष्ट्र में स्वर्गीय उत्तमराव पाटिल वन उद्यानों के निर्माण योजना के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दुः

महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई स्वर्गीय उत्तमराव पाटिल वन उद्यान योजना के तहत 67 जैव विविधता उद्यानों (बीडीपी) में से केवल 15 जैव विविधता उद्यानों को ही पूरा करके हस्तांतरित किया जा सका (मार्च 2023 तक)। स्थलों के अनुचित चुनाव के परिणामस्वरूप गैर सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण और उद्यानों का निर्माण असफल रहा। बजट और व्यय नियंत्रण की कमी थी, कम निधि प्रदान करने के परिणामस्वरूप योजना के कार्यान्वयन की निर्धारित समय सीमा को बढ़ाया गया और अधिकांश उद्यानों के कार्य अधूरे रह गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित अवधि के भीतर जैव विविधता उद्यानों के कार्य पूरे नहीं हुए तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में सृजित अवसंरचनाओं के रखरखाव हेतु कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सृजित अवसंरचनाएं टूट फूट गईं।

योगदानकर्ता – श्री आर. के. चौबे, व.ले.प.अ., श्री ए. एस. सुले, व.ले.प.अ. तथा उनका लेखापरीक्षा दल।

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)
नियम, 1976
(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052– राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–**

   a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

   b. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

   c. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–**

   a. अधिनियम से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

   b. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात:–

   c. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

   d. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

   e. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

   f. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

   g. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

   h. हिन्दी में प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

   i. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

   j. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

   k. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

   l. 'हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से –

a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा। परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे;

b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य में किसी को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, 'क्षेत्र ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

a. केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं,

b. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे,

d. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे:

e. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर अवधारित करे:

परन्तु जहाँ ऐसे पत्रादि –

i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर –

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी,हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग –

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि –

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना –

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण ओर ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिन्दी में प्रवीणता –

यदि किसी कर्मचारी ने –

a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है ; या

b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो ; या

c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है ;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान –

1. a. यदि किसी कर्मचारी ने –

i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है ; या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ; या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ; या

b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि–

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व –

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह –

(i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

2. केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

[भारत का राजपत्र भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

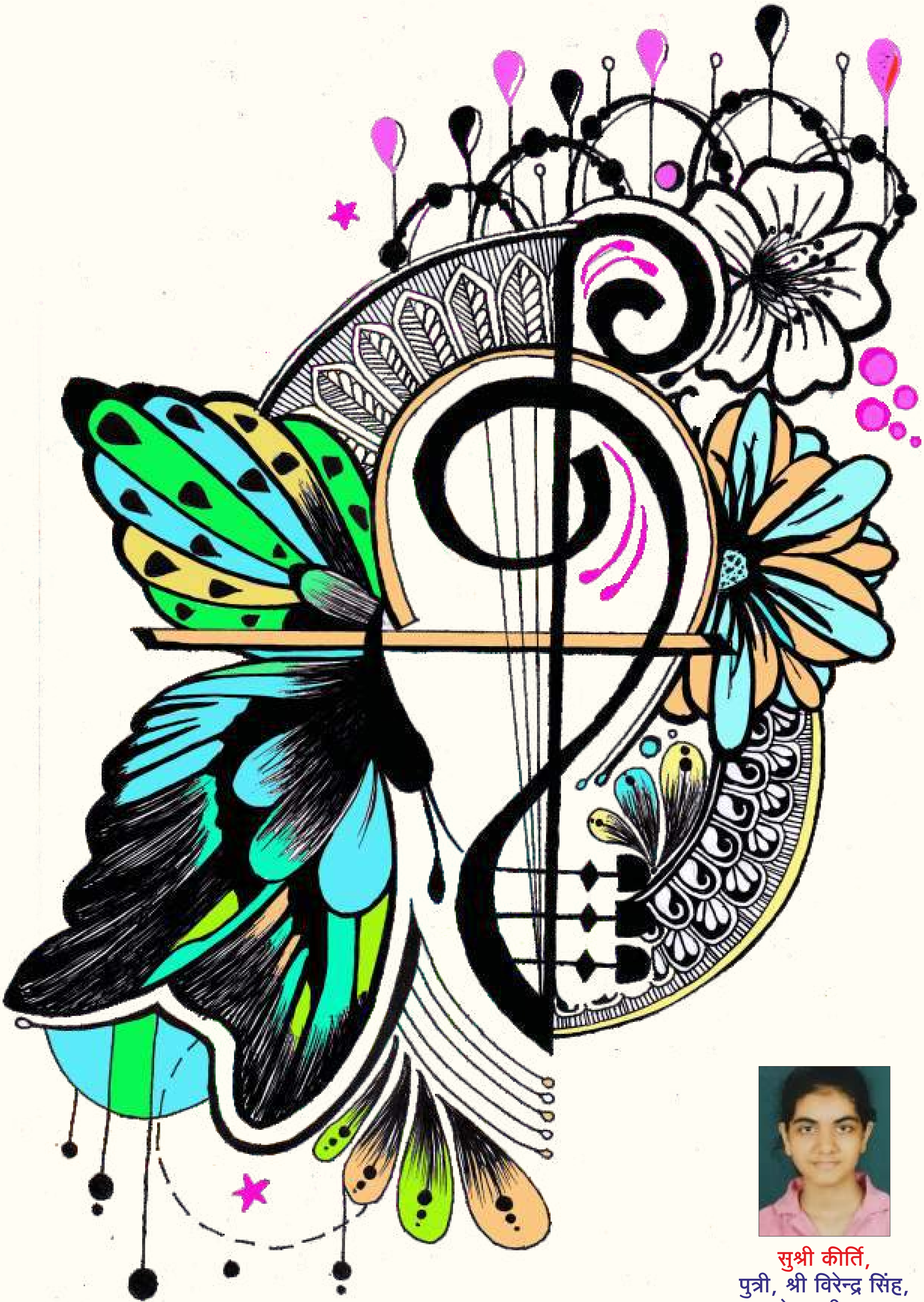

सुश्री कीर्ति,
पुत्री, श्री विरेन्द्र सिंह,
लेखापरीक्षक

श्रीमती चेतना राज,
स.ले.प.अ.
शाखा कार्यालय, मुंबई